उन्नति विचार

वर्ष : 7 अंक : 4 अक्टूबर-दिसंबर, 2002

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार 2
बाल संभाल और मातृत्व के लाभ : अनौपचारिक क्षेत्र में महिला कार्मिको हेतु सामाजिक सुरक्षा

नज़रिया 11
राष्ट्रीय महिला आयोग की स्वायत्तता पर धावा

महिलाओं के प्रजननपरक संबंधी अधिकार के बारे में दो कानूनो में सुधार

अपनी बात 15
बालकों का यौन शोषण: एक अदृश्य अभिशाप

गतिविधियां एवं भावी कार्यक्रम 19

संदर्भ सामग्री 21

अपने बारे में 25

संपादकीय टीमः
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25/- रु. मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संस्थान, अहमदाबाद के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

संभव है दूसरी वैकल्पिक दुनिया

पूंजीवादी वैश्वीकरण एवं नव साम्राज्यवाद की ताकतों के विरोध में वंचित, शोषित मजदूरों, किसानों, दलितों, महिलाओं के बिखरे प्रयत्नों को एकजुटता में बांधने और नया उत्साह प्रदान करने में एशिया सामाजिक मंच (ए.एस.एफ) ने सचमुच नये वर्ष में इन संगठनों को एक विशेष सौगात दी है। यह कार्यक्रम हैदराबाद में २ से ७ जनवरी, २००३ के दौरान आयोजित किया गया।

पिछले कई वर्षों से विश्व के स्तर पर विभिन्न आर्थिक ताकतों द्वारा एक ऐसी व्यवस्था को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है जिसके मूल में पूंजीवादी वैश्वीकरण है। इस पूंजीवादी वैश्वीकरण की नीतियों व व्यवहारों का विश्व आर्थिक फोरम द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके प्रभाव में दुनिया के सभी देश आ रहे हैं। इन प्रभावों का खतरा प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं विश्व में शांति रहने, दोनों पर ही होने वाला है। विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलनों का विरोध पिछले दो-तीन वर्षों से लगातार हो रहा है चाहे ये अमरीका का सियाटल शहर हो या स्विटज़रलैंड का जिनेवा या अभी होने वाला डावोस का सम्मेलन। पर केवल विरोध से ही काम नहीं चलने वाला। इसीलिए पहला विश्व सामाजिक मंच जनवरी, २००१ में ब्राजील के पोर्तो एलेग्रे में आयोजित हुआ। इस मंच में दुनिया के १०० देशों के ५०० से ज्यादा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के २० हजार लोगों ने भाग लिया। इस मंच की सफलता व प्रभाव को देखते हुए यह तय किया गया कि इसे हर वर्ष आयोजित किया जायेगा। इस कड़ी में जनवरी, २००२ में दूसरा विश्व सामाजिक मंच आयोजित हुआ। इसमें १३१ देशों के ५५ हजार लोगों ने भाग लिया। यह दूसरा आयोजन भी ब्राजील में ही हुआ। तब यह विचार व नारा और मजबूत हुआ कि साम्राज्यवाद और नव उदारवाद का विरोध तथा इससे हटकर एक नई दुनिया संभव है। विश्व सामाजिक मंच का तीसरा आयोजन भी ब्राजील में ही हो रहा है। परन्तु यह विचार आया कि तीसरे आयोजन से पहले इस मंच को और व्यापक रूप दिया जाय तथा इसे विभिन्न महाद्वीपों में आयोजित किया जाये। इस विचार को साकार रूप देने के लिए जनवरी में भारत के हैदराबाद में एशिया सामाजिक मंच, २००३ का आयोजन किया गया।

एशिया सामाजिक मंच इसी विचार का प्रतिपादन कर रहा था जिसमें खुले रूप में जन संगठनों, विभिन्न जन आंदोलनों से जुड़े लोग, सभ्य समाज अपने सहभागी तरीकों से उन चुनौतियों पर चर्चा करे जिनसे विश्व में ऐसे वैकल्पिक संसार की रचना हो सके जहां लोक आधारित विकास, वैश्विक न्याय, समता, मानव अधिकार और मानव सुरक्षा के साथ विविधता के आधार पर समाज की संरचना हो। मंच सहभागिता और खुलेपन का अनूठा उदाहरण था, यहां तक कि एशिया सामाजिक मंच के विरोधी राजनैतिक विचारधाराओं के प्रदर्शन का भी पूरा अवसर था। चूंकि यह एशिया से जुड़े देशों का सम्मेलन था इसलिए यहां पर भारत के साथ-साथ नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, जापान,

फिलिपिंस आदि ने तो भाग लिया ही, वहीं साथ ही अर्जेंटिना, अमरीका व अन्य देशों से भी लोगों ने अपनी शिरकत की।

इस पांच दिवसीय सम्मेलन में उपरोक्त देशों के विभिन्न मुद्दों पर काम करने वाले लोगों ने वैश्विकरण से पूरी तरह प्रभावित अपने मुद्दों को रखा। सृजनात्मकता से मुद्दों को आवाज देना, चित्रांकित करना, बौद्धिक स्तर पर विश्लेषण करना एवं सांस्कृतिक स्तर पर लोगों के मानस में उतारना, यह इस सम्मेलन का अनूठापन था। इस सम्मेलन में भाग लेने वालों में जहां एक ओर वे लोग थे जो वैश्वीकरण और फौजीकरण से सीधे प्रभावित हुए हैं, वहीं विभिन्न जन संगठनों से जुड़े लोग भी थे जो उन सभी मुद्दों पर काम कर रहे थे जिन पर किसी न किसी रूप से वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ रहा था। मिसाल के तौर पर बोलिविया के आस्कर औलिवेरा ने पानी के निजीकरण के विरोध में आंदोलन किया। पुद्कोटाई जिले के पोन सुंदरसेन ने तमिलनाडु में उन भूमि हीन दलितों के पक्ष को उभारा जो आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जिन्हें विस्थापित किया गया है। फिलिस्तीन, अर्जेंटिना, नर्मदा विस्थापित एवं मानव अधिकार के हनन से पीड़ित बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी कहानियां प्रस्तुत की। पूंजीवादी वैश्वीकरण से जुड़े मुद्दों पर कई सेमिनारों, कार्यशालाओं और वृहद सम्मेलनों का आयोजन किया गया जैसे - विकास और व्यापार, कर्ज और देशों की सार्वभौमिकता, दलितों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे एवं प्रजातंत्र से जुड़े विभिन्न आयाम। मगर इन सभी कार्यक्रमों में वैश्वीकरण प्रभाव की धाराएं अंतर्निहित थी। यह ऐसा संगम था जहां भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री के.आर.नारायण, किशन पटनायक, पत्रकार प्रभाश जोशी, स्वामी अग्निवेष एवं राजनीति से जुड़े देश और विदेश के व्यक्ति, जन आंदोलनों से जुड़े व्यक्ति (मेधा पाटकर, वंदना शिवा, अरुणा रॉय, वॉल्डन वेलो), इसी प्रकार बहुत सारे बुद्धिजीवी (प्रो.जॉन द्रिज, प्रो. बाबू मैथ्यू, प्रो. अकबर जेदी) एवं महिला मुद्दों पर काम करने वाले (कमला भसीन, अमरजीत कौर) आदि थे। पर इसी के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं के बड़े समूह भी शामिल थे जो वैकल्पिक स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवाधिकार, यूनियन आदि के कार्य से जुड़े थे। इन्हीं लोगों के साथ हजारों दलित, आदिवासी, महिला संगठनों से जुड़े लोग भी थे जो विभिन्न मुद्दों पर अपने-अपने स्तरों पर वैश्वीकरण प्रभावित मुद्दों पर अपनी तरह से भूमिका निभा रहे थे।

इस सम्मेलन ने विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संघ जैसी अनेक वित्तिय संस्थाओं द्वारा किए गए ढांचागत समायोजन कार्यक्रम के तहत गरीबी कम करने के नाटकों को पूरी तरह से उजागर किया। विभिन्न संगठनों व संस्थाओं ने सेमिनार और कार्यशालाओं के माध्यम से यह अच्छी तरह से स्पष्ट किया कि इन संस्थाओं के द्वारा विकासशील देशों में जो आर्थिक नीतियां अपनाई जा रही हैं जिनके कारण गरीबी तो बढ़ी ही है परन्तु प्राकृतिक संसाधनों पर लोगों की मिल्कियत उनके हाथों से छिनकर व्यापारिक संस्थाओं के हाथों में जा रही है। इसके कारण जहां एक ओर वंचित और गरीबों के अधिकारों का हनन हो रहा है वहीं पर खाद्य सुरक्षा, आजीविका पर आक्रमण हो रहे हैं। इसी फोरम के कार्यक्रमों ने यह भी उजागर किया की लिंग आधारित भेदभाव व असमानता, निजीकरण, मजदूरों को नियमित काम न मिलना, तो हो ही रहा है परन्तु पर्यावरण, संस्कृति और ज्ञान को भी खतरा हो गया है।

इस मंच का एक रुचिकर पक्ष यह भी था कि जहां इस तरह की बौद्धिक चर्चाएं हुई उन्हीं के साथ दलित, आदिवासी एवं महिला संगठनों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों, रैलियों, नुक्कड़ नाटकों से यह बतलाने की कोशिश की कि वे किसी भी प्रकार से इस पूंजीगत वैश्वीकरण को आगे नहीं चलने देंगे और अपनी दुनिया को एक वैकल्पिक रूप से देखने का प्रयास करेंगे। इस मंच का एक अन्य रुचिकर पक्ष युवा शिविर था जिसमें विभिन्न देशों के युवक-युवतियों ने भाग लिया, वे मूल कार्यक्रम से अलग अपने मुद्दों से जुड़कर काम करते रहे। इन शिविरों में शिक्षा, पर्यावरण एवं वैश्वीकरण के विभिन्न मुद्दों पर युवाओं ने अपनी समझ बनाने की कोशिश की।

एशिया सामाजिक मंच, २००३ कुछ मायनों में हैदराबाद में होने वाला एक ऐसा कार्यक्रम था जिसने इस बात को पूरी तरह से उजागर कर दिया कि विश्व में जो आर्थिक विकास की एक तरफा आंधी चल रही है उसे तीसरी दुनिया के लोग नकारते हैं और उनमें यह भी विश्वास है कि एक दूसरे वैकल्पिक विश्व समाज का निर्माण किया जा सकता है।

सम्मेलन में पूंजीपतियों की शोषणकारी व्यवस्थाओं, नीतियों और कानूनों के खिलाफ चल रहे संघर्षों को और मजबूत करने की आशा, ऊर्जा और हिम्मत मिली। सभी ने यह महसूस किया कि भूख, असमानता और शोषण मुक्त दुनिया की आवश्यकता है। साथ ही यह भी महसूस किया कि इस सपने को आगे ले जाने के लिए संघर्ष करने में बहुत बड़ी संख्या में लोग शमिल हैं। इस मंच पर लोगों का यह विश्वास और पक्का हुआ कि हम एक दूसरी दुनिया बनाएंगे, जो न्याय, समानता, शांति व सद्भाव के मूल्यों पर ही आधारित हो।

डॉ. ओम श्रीवास्तव, आस्था प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर.

बाल संभाल और मातृत्व के लाभ अनौपचारिक क्षेत्र में महिला कार्मिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा

'सेवा' भारत की प्रमुख **सुश्री रेनाना झाबवाला** और **सुश्री शालिनी सिन्हा** द्वारा लिखे गए इस लेख में इस बात की विषद चर्चा की गई है कि अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों और विशेष रूप से महिला कार्मिकों की सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की तत्काल इतनी आवश्यकता क्यों हैं? महिला कर्मचारियों हेतु बाल संभाल और मातृत्व के लाभों की व्यवस्था महिला कार्मिकों के जीवन से सम्बद्ध विषय हैं और उनकी गरीबी दूर करने के सवाल के साथ वे व्यवस्थाएँ किस तरह संबंधित हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर इस लेख में इसका विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से सामाजिक सुरक्षा के विचार को सामने लाया गया है। संविधान के अनुच्छेद ३८ की व्यवस्थाओं के अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करके, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद-४१ के अनुसार आर्थिक क्षमता और विकास की अपनी मर्यादाओं में रहते हुए राज्य को ऐसी प्रभावी व्यवस्थाएँ करनी हैं ताकि बेरोजगारी, बुढ़ापे, रूग्णता और विकलांगता के मामलों में काम, शिक्षा एवं सार्वजनिक सहायता का अधिकार मिल सके। अनुच्छेद-४२ यह चाहता है कि राज्य को काम की न्यायपूर्ण एवं मानवीय स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए और मातृत्व के मामले में स्त्रियों को राहत देने वाली व्यवस्थाएं करना चाहिए। लेकिन अनुच्छेद-४७ के अनुसार लोगों के पोषण एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार हेतु अपना प्राथमिक दायित्व निभाना चाहिए। साथ ही, स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा का बुनियादी ढांचा निर्मित करने के लिए अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम बनाये गये हैं। उनके क्रियान्वयन के लिए करोड़ों रुपये व्यय किये गये हैं और उनके लिए विभिन्न तंत्र भी स्थापित किये गए हैं।

इन वर्षों के दौरान भारत में संगठित क्षेत्र सिकुड़ता गया है और असंगठित क्षेत्र विकसित होता गया है। आज अनौपचारिक क्षेत्र श्रम-समूह का लगभग ९३ प्रतिशत है। महिलाएँ अधिकांशतः असंगठित क्षेत्र में ही रोजगार प्राप्त करती हैं। कुल महिला कर्मचारियों में से ९६ प्रतिशत महिलाएं इसी क्षेत्र में हैं। महिलाएं निम्न वेतन वाली और असुरक्षित नौकरियों या कामों में हैं। इस नाते वे ठेठ नीचे हैं। उनका काम असुरक्षित, अनियमित और बहुधा असंगठित है।

किसी भी महिला कर्मचारी के लिए चिंता का विषय उसका परिवार, विशेष रूप से उसके बालक होते हैं। कई तरीकों से वह अपने बालकों और अपने परिवार के लिए स्वयं का बलिदान देना बराबर जारी रखती है। वह बालकों, बीमार व वृद्ध व्यक्तियों की पूरी देखभाल का जिम्मा उठाती है, परिवार का पेट भरने की पारिवारिक जिम्मेदारी भी उठाती है। वह लंबे समय तक कठिन काम करती है, पैसे कमाने तथा जीवन निर्वाह के लिए भी वह बहुत लंबे समय तक काम करती है। अपने परिवार के श्रेष्ठतम जीवन के एकमात्र उद्देश्य से वह यह सब करती है।

हालांकि यह स्वीकार करना चाहिए कि उसका काम राष्ट्रीय अर्थतंत्र का ही एक भाग है। उसका काम सिर्फ उसके परिवार में ही योगदान दे, ऐसा नहीं है। वरन् वह अपने गांव, नगर या देश के विकास में भी समग्रतया योगदान देती है। उसको सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जरूरत है, जो उसे कार्मिक के रूप में देखे, उत्पादक एवं योगदान प्रदाता के रूप में देखे, न कि सबसिडी देनी पड़े ऐसे बोझ के रूप में देखे। जो गरीब समाज में योगदान देता है उसे बजटीय संसाधनों में अपना हिस्सा पाने का अधिकार है। इन संसाधनों को सबसिडी के रूप में नहीं देखना चाहिए अपितु निवेश के रूप में देखना चाहिए। ऐसा निवेश जो गरीबों की उत्पादकता

जनश्री बीमा योजना

प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ने अगस्त २००० में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के लिए जनश्री बीमा योजना की घोषणा की थी। उसका विवरण यहां प्रस्तुत है:

पात्रता

१. १८ से १९ वर्ष की उम्र के व्यक्ति

२. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के अलावा गरीबी रेखा की मर्यादा से थोड़ी ऊपर की मर्यादा में आने वाले व्यक्तियों का भी बीमा किया जा सकता है।

३. जीवन बीमा निगम द्वारा नोडल एजेंसी की सलाह से समूह की पहचान व घोषणा।

४. कम से कम २५ सदस्य होने चाहिए।

लाभ

अ. सदस्यों की मृत्यु के समय २०,००० रु. की बीमा राशि नामित व्यक्ति को चुकाई जाएगी।

ब. दुर्घटना बीमा लाभ : दुर्घटना से होने वाली मृत्यु अथवा दुर्घटना के कारण से आंशिक/स्थायी अपंगता होने पर निम्न लाभ मिलेंगे:

१. दुर्घटना से मृत्यु होने पर : ५०,००० रु.

२. दुर्घटना से स्थायी अपंगता होने पर : ५०,००० रु.

३. दुर्घटना से दो आंखें अथवा दो हाथ अथवा दो पैर अथवा एक आंख अथवा एक हाथ अपंग होने पर : ५०,००० रु.

४. दुर्घटना से एक आंख अथवा एक हाथ अथवा एक पैर अपंग होने पर : २५,००० रु.

प्रीमियम

- शुरूआत में प्रति सदस्य २०० रु. वार्षिक प्रीमियम का विभाजन निम्न रूप से होगा।
- १०० रु. प्रीमियम की राशि सदस्य/नोडल एजेंसी/राज्य सरकार को भरनी होगी।
- शेष १०० रु. की राशि सामाजिक सुरक्षा फंड भुगतेगा।

नोडल एजेंसी

- नोडल एजेंसी अर्थात् पंचायत, गैर-सरकारी संगठन, स्वयंसेवी समूह या अन्य कोई संस्थागत व्यवस्था।
- नोडल एजेंसी इस योजना से संबंधित प्रत्येक मामलों में बीमादारों के लिए उनकी ओर से काम करेगी।

इसके अलावा निम्न २३ व्यवसायों को जीवन बीमा निगम ने सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत स्वीकार किया है:

१. बीड़ी कर्मचारी
२. सुथार
३. मछुआरे
४. हस्तकला कारीगर
५. हाथ की बुनाई और खादी-बुनकर
६. चर्म उद्योग कारीगर
७. शारीरिक अपंग स्वयं रोजगार करने वाले
८. रिक्शे चलाने वाले तथा ओटो रिक्शा चालक
९. नमक उद्योग कारीगर
१०. शहरी गरीब
११. रेशम के कीड़े पालने वाले
१२. टोडी टेपर्स
१३. पावरलूम कारीगर
१४. मोची
१५. हमाल
१६. हाथ बुनाई कारीगर
१७. दरज़ी का काम करने वाली स्त्रियां
१८. सेवा से सम्बद्ध पापड़ कारीगर
१९. दुग्ध उत्पादक मंडलों के सदस्य
२०. सफाई कर्मचारी
२१. ताड़ी कर्मचारी
२२. जंगल कर्मचारी
२३. ईंट-भट्टे के कर्मचारी

बढ़ाता है और देश के कुल राष्ट्रीय उत्पादन मे अभिवृद्धि करता है।

अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार पाने वाले और विशेष रूप से महिला कार्मिक अधिकांशतः सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं करती। वर्तमान योजनाएँ मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र तक ही सीमित हैं और वे कार्मिकों के शायद ही १० प्रतिशत जितना क्षेत्र है जहां मालिक और कर्मचारी के बीच में संबंध स्पष्ट रूप से प्रस्थापित हो सकते हैं। असंगठित क्षेत्र या अनौपचारिक अर्थतंत्र के लाखों लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा उनकी अस्तित्व की लड़ाई में एक छूटी हुई कड़ी है। फिर भी, अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार करने वाले यही कर्मचारी सबसे ज्यादा गरीब हैं और वे सबसे ज्यादा नुकसान व जोखिम सहन करते हैं जो उनके अस्तित्व के सामने ही खतरा उत्पन्न करते हैं।

महिला कर्मचारियों की समस्या बहुत तीव्र और गहन हैं। वे कर्मचारी, गृहिणी और माता के रूप में तीन तरह की भूमिकाएँ अदा करती हैं। पूंजी और सम्पत्ति का अभाव, अल्प और अनियमित आमदनी, बार-बार दुर्घटना, बीमारी व अन्य आकस्मिक घटनाएं, काम व आवास की बुरी दशा, कमजोर क्रय-शक्ति, बाहरी संबंधों का अभाव और आधुनिक कौशल-प्राप्ति के अवसरों का अभाव - ये तमाम आपस में जुड़ी हुई शक्तियां हैं, जो महिलाओं को वंचितता के जाल में फंसाती हैं और वे गरीबी के विषैले चक्र में फंस जाती है। उदारीकरण की नीतियों ने उनके जीवन पर विपरीत प्रभाव डाला है। वे अवसर जुटाते हैं, तब भी काम की स्थिति बहुत खराब होती है। उसके साथ-साथ आकस्मिकता की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और कौशल व तकनीकी वे हासिल कर नहीं सकतीं। राज्य की सिकुड़ती हुई भूमिका उनके बोझ को और बढ़ाती है।

इस बात में दो राय नहीं हो सकती कि अपनी आबादी के इस बड़े भाग के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था विकसित करना हमारी तात्कालिक जरूरत है। मुख्य प्रश्न यह है कि इसे कैसे हासिल किया जाए, उचित, कार्यक्षम एवं गुणात्मक सेवाएं कैसे प्रदान की जाएं और समय रहते उनका बंटवारा करना और वह भी उनके घर आंगन में। अनौपचारिक क्षेत्र का आकार और स्वरूप बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न करता है। उसमें रोजगार की विविधता है और काम का स्थल भौगोलिक दृष्टि से बिखरा हुआ है। अतः चुनौती इस प्रकार है : (१) संगठित क्षेत्र की बजाय रोजगार के संबंध बहुत अलग हैं और वे बदलते रहते हैं। (२) असंगठित क्षेत्र के लिए मालिक के हिस्सेवाली सामाजिक बीमा योजना लागू करने में बड़ी बाधा यह है कि मालिक का निर्धारण कर पाना मुश्किल है। (३) संगठित क्षेत्र में स्थिर एवं नियमित रोजगार होता है, लेकिन इनके विपरीत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा की, आमदनी की सुरक्षा की तथा सामाजिक सुरक्षा की एक साथ जरूरत पड़ती है। (४) महिला कर्मचारियों की जरूरतें पुरुष कर्मचारियों की नहीं होती उदाहरणार्थ, बालक से संबंधित जरूरतें ज्यादातर महिला कर्मचारियों के लिए प्राथमिक चीज होती है।

महिला कार्मिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा जरूरतों की जांच

बाल संभाल

आज नन्हे बालक को सिर्फ माता का ही दायित्व समझा जाता है, और काम करने वाली माता बहुधा बाल संभाल के बोझ से दब जाती है, इससे माता की उत्पादकता घटती है और माता व बालक दोनों के स्वास्थ्य पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके उपरांत, परंपरागत कौटुम्बिक व्यवस्था में छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है, ऐसी धारणा भी सही नहीं है। अपने घर से बाहर काम ढूंढने की वाली महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। एक अनुमान के अनुसार लगभग १५ करोड़ स्त्रियां गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हैं और ६ वर्ष नीचे ५-६ करोड़ बालकों का ऐसा समूह है कि जहां माता को अस्तित्व टिकाये रखने के लिए भी काम करना पडता है। उनमें से अधिकांश असंगठित क्षेत्र में हैं।

इन महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर पैदल जाना पडता है, अथवा उन्हें खचाखच भरी बसों-ट्रेनों में जाना पड़ता है। औसतन एक महिला कर्मचारी दिन में १०-१२ घंटे और बहुधा सप्ताह के सातों दिन काम करती है। काम करने वाली माता खूब काम करती है, थक जाती है और बहुत बार बालक के कल्याण के बारे में चिंता भी उत्पन्न होती है। बाल संभाल की व्यवस्था उस पर अनेक

बोझों में से एक बोझ कम करती है, वह स्त्रियों के लिए समय, अवकाश और काम के अवसर उत्पन्न करती है, और वह उनकी क्षमता को सहारा देती है। बाल संभाल आंतरिक तरीके से ही स्त्रियों के विकास और सक्षमता से जुड़ा विषय है। अध्ययन यह दर्शाता है कि बाल संभाल की व्यवस्था से माता की उत्पादकता में ५० प्रतिशत वृद्धि होती है, बाल मृत्यु दर घटती है और बालकों का उत्तम विकास होता है।

बाल संभाल की पर्याप्त सुविधाओं के अभाव के कारण ही काम करने वाली माता के पास नन्हे बालकों को बड़े बालकों के पास छोड़ने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। छोटे बच्चों को ज्यादातर छोटी बालिकाएं संभालती हैं। पर सचमुच वे इतनी छोटी होती हैं कि स्वयं उनको संभालने और पालने की जरूरत पड़ती है। बाल-संभाल की सुविधाओं की व्यवस्था किये जाने से छोटी बालिकायें शाला जाने लगेंगी और वे अपने बचपन का आनंद प्राप्त करेंगी।

बालक के आरंभ के वर्षों में उसके पालन और देखभाल की जरूरत होती है। अगर उनकी परवाह नहीं की जाएगी तो बालकों के स्वास्थ्य, कल्याण, संभाल, विकाल और शिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। (भारत में एक तिहाई बालकों का वजन जन्म के समय कम होता है और पांच वर्ष से नीचे के ५३ प्रतिशत बालक कुपोषण से पीड़ित हैं। विश्व के १९ करोड़ कुपोषण से पीड़ित बालकों में से लगभग ४० प्रतिशत अर्थात् ७.३ करोड़ बालक भारत में रहते हैं।

वर्तमान राज्य प्रेरित कार्यक्रमों में बहुत कम बालक शामिल हो पाते हैं और इस आयुवर्ग के थोड़े से बालकों तक ही यह पहुंच पाता है। एक अनुमान के अनुसार ६ वर्ष की आयु तक के मात्र १२ प्रतिशत बालकों को ही बाल संभाल कार्यक्रमों का लाभ मिलता है, अर्थात् उनका लाभ ६२.२४ लाख बालकों को ही मिलता है। यह आंकड़ा प्रभावशाली है, पर यह तो हिमखंड का शिखर मात्र है। साथ ही, इन व्यवस्थाओं का लाभ अधिकांशतः उसे ६ वर्ष की आयु के बालकों को ही मिलता है। अतः नन्हे बालकों अर्थात् ३ वर्ष की आयु तक के बालकों को तो इस सेवा का लाभ मिलता ही नहीं।

शिशुसदन और बाल संभाल सेवाएँ किसलिए?

माता के लिए

- बराबर रहने वाले तनाव और चिंता से माता मुक्त हो।
- काम करने वाली माता के लिए समय, अवकाश व काम के अवसर उत्पन्न हों।
- उत्पादकता व आय में वृद्धि हो।
- काम करने वाली स्त्रियों को काम संबंधी प्रशिक्षण, शिक्षण तथा अन्य किन्हीं सामुदायिक प्रवृत्तियों में भागीदारी हेतु समय मिल सकें।

बालक के लिए

बालक की रक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, संभाल, विकास व शिक्षण में सुधार हो।

बड़ी बालिका के लिए

- बाल संभाल के बोझ से मुक्ति
- शिक्षण का अधिकार

समन्वित बाल विकास सेवा

सरकार का सबसे विख्यात कार्यक्रम समन्वित बाल विकास सेवा (इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस - आई.सी.डी.एस.) है। इसका नन्हे बालकों के सम्पूर्ण विकास का ध्येय है। बाल संभाल सेवाओं संबंधी ढांचागत सेवाओं के विकास में यह अत्यंत सफल रहा है। यह कार्यक्रम लगभग ६२ प्रतिशत बालकों को यह सम्मिलित करता है और ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों तक फैला हुआ है। स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार, टीकाकरण तथा आंगनबाड़ी में से प्राथमिक शाला में बालकों की भरती तथा शाला जाने से अधबीच में रह जाने वाले बालकों की तादाद घटाने में भी यह कार्यक्रम बहुत प्रभावी रहा है। यद्यपि यह कार्यक्रम काम करने वाली माताओं को शामिल नहीं करता। यह सिर्फ ३ से ६ वर्ष के बालकों को शामिल करता है, और फिर यह दिन के ३ से ५ घंटों के लिए ही होता है जब माताएँ काम पर गई होती हैं। अतः वे ये सेवाएं प्राप्त नहीं कर सकतीं। ऐसे में इन माताओं को अपना बोझा हलका करने में यह कोई खास मदद नहीं देता। उसके

भारत में बालकों की स्थिति

- पांच वर्ष के बालकों में मृत्यु दर ६८.१८७ देशों में उतरते क्रम में भारत का क्रम ४९वां है।
- १,००० जीवित बालकों के जन्म लेने पर ५० प्रतिशत बालक एक बरस से पहले ही मर जाते हैं।
- ५३ प्रतिशत बालक बहुत कम वजन के पैदा होते हैं।

क्रियान्वयन के लिए सरकार का जो श्रेणीगत ढांचा बना हुआ है, वह सामुदायिक भागीदारी, फेरफार क्षमता और टिकाऊपन के प्रयासों पर विपरीत प्रभाव डालता है। इसके अलावा, वह पैसों के लिए पूरी तरह से सरकार पर आधारित है, अत: उसमें टिकाऊपन का अभाव है। समन्वित बाल विकास सेवा की ये कमियाँ भी इस यथार्थ के साथ देखनी पड़ती हैं कि माता और बाल सेवाओं के लिए सरकार जो कुछ बजट में खर्च करती है उसका अधिकांश भार इस कार्यक्रम के पीछे खर्च होता है।

कानून

महिला कर्मचारियों के बालकों के लिए शिशुसदन की व्यवस्था किये जाने संबंधी अनेक कानून हैं:

(१) कारखाना कानून - १९४८
(२) बगीचा कानून - १९५१
(३) खान कानून - १९५१
(४) बीड़ी व सिगार कर्मचारी (रोजगार स्थिति) कानून - १९६६
(५) कांट्रेक्ट मजदूर (नियमन एवं समापन) कानून - १९७०
(६) अंतर्राज्यीय स्थलांतरण कर्मचारी कानून - १९८०

ये कानून बताते हैं कि कम से कम कितनी महिला कार्मिक हों तो शिशुसदन जरूरी है। हालांकि खान कानून में एक महिला कार्मिक हो, तब भी शिशुसदन अनिवार्य है। इन कानूनों में व्यवस्था की गुणवत्ता, बाल संभाल के प्रकार इत्यादि के बारे में भी बताया गया है। हालांकि कानूनों का संतोषजनक क्रियान्वयन नहीं होता। महिला कर्मचारी २० हो तो शिशुसदन की व्यवस्था रखी गई है, इससे महिलाओं का रोजगार सीमित हो गया है। इससे मालिकों को महिलाओं को काम पर न रखने का बहाना मिल गया है। मालिक या तो कम महिलाओं को रखते हैं या फिर कुंवारी लड़कियों को ही काम पर रखते हैं अथवा कामचलाऊ रूप में उनको काम पर रखते हैं।

मातृत्व के लाभ

अनौपचारिक क्षेत्र में महिला कार्मिकों के लिए मातृत्व का लाभ एक और बड़ी सामाजिक सुरक्षा की जरूरत के लिए है। स्त्री के जीवन में सर्वाधिक उत्पादक वर्ष उसका प्रजनन काल भी होता है। मातृत्व अवकाश की व्यवस्था के अभाव में महिला कार्मिक को बहुधा अपने बालक के लिए काम छोड़ देना पड़ता है। खराब स्वास्थ्य, अधिक इलाज खर्च और रोजगार छूट जाने से महिला कर्मचारी और भी ज्यादा कमजोर हो जाती है। इसीलिए बालक के जन्म के समय वह देनदारी और ऊंची ब्याज दर के चक्कर में फंस जाती है। कई बार वे वांछित आराम भी नहीं कर पाती और बालक के जन्म के बाद फौरन काम पर चढ़ जाती हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गर्भावस्था और बालक के जन्म के समय स्त्री के स्वास्थ्य की देखभाल न होने से मृत्युदर ऊंची चली जाती है, वे ऐनीमिया से पीड़ित होती हैं और कम वजन वाले शिशु जन्म लेते हैं। प्रति लाख बच्चों के जन्म के पीछे ५७० बालक मर जाते हैं, १५ से ४९ वय की ८८ प्रतिशत स्त्रियां एनीमिया से पीड़ित हैं, और ३३ प्रतिशत बालक ढाई कि.ग्रा. से भी कम वजन के साथ जन्म लेते हैं। माता का स्वास्थ्य बालक के स्वास्थ्य के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है तथा मातृत्व के लाभ भी बालक के अस्तित्व और विकास में योग देते हैं। वास्तव में, बालक के विकास का आरंभ सगर्भा स्त्री के स्वास्थ्य की संभाल से होता है और बाद में वह बालक के स्तनपान के समय से होता है।

हाल के वर्षों में सार्वजनिक स्वास्थ्य का खर्च घटाते जाने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है। विगत दशक के दौरान आकस्मिक मजदूरों की संख्या बढ़ी है और विशेष रूप से ऐसे महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है। वे अधिक से अधिक तादाद में काम की अयोग्य और खराब दशा वाले काम अस्थायी स्तर पर और कांट्रेक्ट स्तर पर प्राप्त कर लेती हैं। सामाजिक सुरक्षा का जाल वापिस खींच लिया जाए तो महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देखभाल का निजीकरण होता है। बालकों और माताओं की ऊंची मृत्यु-दर बुनियादी सेवाओं की दुर्दशा का प्रतिबिम्ब दर्शाती है। बालक

जीवित रहे और माता का स्वास्थ्य बना रहे, ऐसी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है। आज देश की वास्तविकता यह है कि स्वास्थ्य की ८५ प्रतिशत जरूरतें निजी रूप में पूरी की जाती हैं, और यह तादाद बढ़ती जा रही है। ४० प्रतिशत से भी अधिक माताओं को बालक के जन्म से पूर्व और बाद की सार-संभाल नहीं मिल पाती। ४२.२ प्रतिशत सगर्भा स्त्रियों को बालक के जन्म-पूर्व की सार-संभाल नहीं मिलती। जिन्हें यह सार संभाल की सुविधा प्राप्त होती है, उनमें मात्र १५.५ प्रतिशत को गृह स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सुविधा मिलती है और ४७.७ प्रतिशत स्त्रियों को ही धनुष बाय का इंजेक्शन लगाया जाता है। मात्र ४५.१ प्रतिशत स्त्रियां ही गर्भावस्था में लौह तत्व की गोलियां प्राप्त करती हैं।

मातृत्व के अधिकार : वर्तमान कानून और परंपराएँ

मातृत्व के लाभ हेतु मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव मैटर्निटी एंटाइटलमेंट कन्वेंशन-२००० है। उसमें निम्न मुद्दों का समावेश है:

१. पूर्णकालिक या अंशकालिक काम में लगी हुई या दूसरे के वहां काम करने वाली किसी भी स्त्री कर्मचारी को मातृत्व के लाभ मिलने चाहिए।

२. बालक के जन्म के बाद कम से कम ६ सप्ताह की अनिवार्यतः और कुल १४ सप्ताह की छुट्टियां मिलनी चाहिए और उन्हें नकद राशि का लाभ भी मिलना चाहिए, जिसमें स्त्री कर्मचारी की बीमा रकम की दो तिहाई राशि का भी समावेश हो।

३. महिला कर्मचारी को काम से निकाला न जाए, उसे उस काम पर लौटने का हक रहे और इस तरह रोजगार की सुरक्षा मिले। इसका अर्थ है कि स्त्री सगर्भा हो या बीमार हो तो उसे काम से हटाया न जाए। अगर उसे हटाया जाता है तो इसके लिए कारण बताने की जिम्मेदारी मालिक की है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आइ.एल.ओ.) के इस प्रस्ताव का कार्यक्षेत्र सीमित है, क्योंकि इसमें सभी महिलाओं को मातृत्व का लाभ देने का विचार नहीं किया गया है। जो देखभाल परक आर्थिक काम करती हैं और जो आर्थिक मुआवजे के बिना ही काम करती हैं उन का भी ध्यान रखा जाना चाहिये था।

भारतीय संविधान के वर्तमान ढांचों का जहां तक संबंध है, वहां तक मातृत्व का लाभ कानूनन अविवादित अधिकार है। इस संबंध में दो मुख्य कानून निम्नानुसार हैं : मातृत्व लाभ कानून-१९६१ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम-१९४८.

कर्मचारी राज्य बीमा कानून-१९४८: नौकरीपेशा महिला बीमार हो, असमय गर्भपात हो, गर्भावस्था के दौरान बीमार हो, अथवा बालक का पहला जन्म हो, तो ऐसे मामलों में बीमाधारी महिला को नकद राशि देने की व्यवस्था करता है। जहां २० से अधिक महिला कर्मचारी हों और कर्मचारी को प्रतिमाह ३,००० रु. से अधिक वेतन मिलता हो, उसी पर यह कानून लागू होता है। मूल कानून में वेतन के साथ ७० दिनों की छुट्टियों की भी व्यवस्था थी, लेकिन १९९८ में कानून में सुधार हुआ और वे ८० दिनों से १२ सप्ताह की कर दी गई। साथ ही जहां राज्य बीमा निगम (ऐसिक) की सुविधा न हो, ऐसे क्षेत्र की महिला कर्मचारी को २५० रु. का चिकित्सा भत्ता देने की भी व्यवस्था इस कानून में की गई है।

मातृत्व लाभ कानून-१९६१ : संगठित क्षेत्र की ऐसी तमाम महिला कर्मचारियों पर लागू होता है, जिन्हें कर्मचारी राज्य बीमा कानून के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। इस कानून के मुताबिक कारखानों, खानों, बागों और कचहरियों में नियमित रोजगार करने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलता है। इसमें यह ध्यान नहीं रखा जाता कि कितने कर्मचारी काम करते हैं। साथ ही, जिस महिला कर्मचारी ने ८०

छः वर्ष से कम आयु के समस्त बालकों को बाल संभाल उपलब्ध कराने का खर्च

सेवा के अनुभव के आधार पर प्रातः ९ से शाम ६ बजे तक का एक बालक को संभालने का खर्च १० रु. आता है। इसमें पोषण के ५ रु. बाल संभाल कार्यकर्ता के वेतन के ३ रु., प्रवास के १.८५ रु., भोजन बनाने के ईंधन हेतु १५ पैसे के खर्च का समावेश है। इस आंकड़े के आधार पर ६ वर्ष से कम आयु के ५ करोड़ बच्चों को रोजाना संभालने का खर्च निम्नानुसार लगाया जा सकता है।

- एक बालक का एक माह का खर्च ३०० रु.
- एक बालक का एक वर्ष का खर्च ३,६०० रु.
- छः करोड़ बालकों का वार्षिक खर्च २१,६०० करोड़ रु.

दिनों तक काम किया हो, उसे भी इस कानून में शामिल किया गया है। इस कानून में गर्भावस्था के दौरान महिला कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, और वह १२ सप्ताह का अवकाश ले सकती है, ऐसी व्यवस्थाओं का समावेश है। यह लाभ औसत दैनिक वेतन के संदर्भ में मिलता है। वह बीमार हो, उससे पूर्व की तीन माह की तनख्वाह का औसत इसके लिए गिना जाता है। साथ ही, इस कानून में ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि महिला कर्मचारी की गर्भावस्था के दौरान मालिक उसे कड़े परिश्रम वाला काम नहीं सौंप सकता अथवा इस अवधि में उसे नौकरी से नहीं निकाल सकता। माता के काम पर वापिस लौटने पर उसे बालक को स्तनपान कराने हेतु १५ मिनट के दो अल्प अवकाश देने की भी व्यवस्था इस कानून में की गई है। ये तमाम बातें होते हुए भी यह एक सर्वस्वीकृत बात यह है कि ये दोनों कानून अपर्याप्त हैं। लगता है कि अनौपचारिक क्षेत्र की महिला कर्मचारियों के लिए उचित कानून जरूरी हैं। उदाहरणार्थ, इस कानून के अंतर्गत बहुत कम महिला कर्मचारियों को लाया गया है। फिर इस कानून में कई छिद्र हैं, परिणामतः कारखानों के मालिक और कांट्रेक्टर उनका लाभ उठाते हैं। वे २० के बजाय १८ महिला कर्मचारियों को रखकर कर्मचारी राज्य बीमा योजना की व्यवस्थाओं से छिटक जाते हैं। जहां भी कर्मचारी राज्य बीमा योजना कानून लागू पड़ता है, वहां भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ और मातृत्व अवकाश का लाभ बहुत सीमित कर्मचारियों को ही मिलता है और वह भी एक माता को जिन सेवाओं या लाभों की जरूरत पड़ती है, वे सभी उसे नहीं मिल पाते। साथ ही, ये कानून महिलाओं को काम की पूरी सुरक्षा नहीं देते, अथवा उनको काम से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उन्हें गर्भावस्था के दौरान और बाद में विविध लाभ देने पड़ते हैं। इन कानूनों के अनुसार जो लाभ दिये गए हैं, वे भी अपर्याप्त हैं, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान स्त्री को अधिक पोषण की जरूरत पड़ती है, उसके खर्च का उसमें समावेश नहीं किया गया।

इन दो कानूनों के अलावा, मातृत्व का लाभ देने वाली अनेक योजनाएँ हैं। महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना १९७४ में शुरू की गई थी। उसमें एक माह का वेतन, वेतन के भाग के रूप में अनाज तथा बालकों के लिए शिशुसदन की व्यवस्था की गई है। तमिलनाडु में पोषण परियोजना चल रही है। उसमें सगर्भा स्त्रियों तथा स्तनपान

मातृत्व के अधिकारों के लिए कानूनी राह पर योजना

अनौपचारिक अर्थतंत्र में महिला कार्मिकों के लिए मातृत्व के लाभों की जरूरत है। वह स्त्री की माता बनने की भूमिका को स्वीकार करती है और टाली न जाने वाली विषम परिस्थितियों में यदि वह काम से अनुपस्थित रहती है तब भी उसे मुआवजा दिया जाता है। मातृत्व के अधिकार बालक के जन्म व बाल संभाल तथा बालक के आरंभिक जीवन के दौरान स्तनपान के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराते हैं। वे माता व बालक दोनों को स्वस्थ रखते हैं, वे बालक के अस्तित्व और विकास की माता व बालक दोनों को स्वस्थ रखते हैं, वे बालक के अस्तित्व और विकास की, तथा माता के शारीरिक आराम, पोषण एवं स्वास्थ्य हेतु आधार उपलब्ध कराते हैं। मातृत्व-अधिकारों के क्रियान्वयन हेतु कानूनी राह पर कोई योजना होनी चाहिए। वह सभी महिलाओं के सम्मिलित कर ले। मात्र आर्थिक मापदंड के आधार पर ही उनमें भेदभाव हों, उसके अलावा नहीं, और वह भी पैसा न हो तो अल्पकाल के लिए ही। इस योजना का लाभ पंचायत, पोस्ट आफिस, समन्वित बाल विकास योजना के केन्द्रों, सरकारी विभागों और बैंकों आदि स्थानों से ले सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

मातृत्व के लाभ प्रदान करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य की होनी चाहिए। इसके लिए धन संग्रह का सूचित मॉडल इस प्रकार है:

- मालिक, कर्मचारी और सरकार योगदान दें।
- मजदूर कल्याण बोर्ड द्वारा जिस तरह के केस लगाये जाते हैं, वे लगे।
- समुदाय का योगदान। थाईलैंड और चीन में प्रति १०० परिवारों को एक कर्मचारी का बोझ वहन करना होता है, जो लाभ देता है।

कराने वाली स्त्रियों को पूरक पोषण उपलब्ध कराया जाता है। १९८८ में वहां मुथुलक्ष्मी रेड्डी योजना घोषित की गई थी। गुजरात में १९८५ में मातृत्व रक्षण योजना चलाई जा रही है। इसमें वेतन मुआवजे के रूप में प्रतिमाह ३५० रु. नकद दिये जाते हैं। वैसे इन सभी योजनाओं में क्रियान्वयन संबंधी मुसीबतें तो हैं ही। महिला कर्मचारियों को बहुधा १६० दिनों का रोजगार प्रमाण प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है अथवा वे पूरक पोषक आहार का वांछित उपयोग नहीं कर सकती।

सिफारिशें

बाल संभाल

१. सामाजिक सुरक्षा का आंतरिक भाग

बाल संभाल को बहुधा सिर्फ महिलाओं की ही चिंता के विषय के रूप में समझा जाता है। जबकि बाल संभाल का दायित्व माँ-बाप दोनों को उठाना चाहिए। माँ-बाप के बीच सहकारपूर्ण संबंध होने का अपना एक महत्व है तथा छोटे बच्चों के विकास और पालन हेतु उन पर भार डाला ही जाना चाहिए। बाल संभाल को कर्मचारियों संबंधी सभी कानूनों के तथा रक्षणात्मक एवं कल्याण बोर्ड के भाग के रूप में गिना जाना चाहिए। जहां १० कार्यकर्ता काम करते हों वहां शिशु-सदन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि माता या पिता बालक को शिशु-सदन में ला सकें।

२. बाल संभाल को शिक्षा नीति का भाग मानें

८३वें संविधान संशोधन में ६-१४ आयु वर्ग के बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार की गारंटी दी गई है। जो अपने बालकों का लालन-पालन कर सकते हैं और जिनको ऐसा करना पोसाता हो वे बालकों को शाला पूर्व शिक्षण प्रदान कर सकते हैं। ६ वर्ष से कम आयु वाले बालकों को समान अवसर मिलें, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए।

३. परिवर्तनीय स्वायत्त बाल संभाल निधि स्थापित करें।

ऐसी निधि से तमाम महिलाओं के बालकों को बाल संभाल की सुविधाएँ प्रदान की जाएँ। उसमें आमदनी, बालकों की संख्या कितनी है, या अन्य बातों को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। यह निधि राज्य स्तर पर स्थापित हो और वह विकेन्द्रित हो, साथ ही परिवर्तनीय हो ताकि वह सर्वस्वीकृत बने और प्रशासनिक रूप से भी अनुकूल बने। इस निधि में अनेक तरीके से पैसा एकत्र हो, इसे काम करने की स्वायत्ता मिले।

४. बहुपक्षीय व्यूहरचना का उपयोग

अलग-अलग महिला कर्मचारियों की अलग-अलग जरूरतें होती हैं अतः व्यूहरचना भी अलग ही होंगी। कोई एक ही केंद्रित रूप से संचालित बाल संभाल योजना या कार्यक्रम ऐसी वैविध्यपूर्ण परिस्थिति में समाधान नहीं ला सकती। जरूरतें अनेक हैं अतः विविध अभिगमों की आवश्यकता रहेगी। उदाहरणार्थ साग बेचने वाली स्त्रियों की जरूरत कारखाने की कर्मचारी या निर्माण कार्य में संलग्न मजदूर के जैसी नहीं हो सकती। इसी भांति साधन विहीन ग्रामीण अंचलों में रहने वाले परिवारों को शहर की झोंपड़पट्टी में रहने वाले परिवारों की बजाय अधिक विविध तरीको से सहयोग की जरूरत रहती है। संभाल सेवा प्रदान करने वाले लोगों की जरूरतें भी बदलती रहती है। भारत में स्वैच्छिक संस्थाओं के पास नये, प्रभावी और कर्मचारी के अभिगम होतें हैं। फिर सरकार के कार्यक्षेत्र या केंद्रीय सेवाओं के कार्यक्षेत्र से बाहर रहने वाले परिवार भी सर्जनात्मक प्रतिक्रियाएं देते हैं। वे लघु स्तर पर काम करते हैं पर ऐसे नवीन अभिगम अपनाते हैं कि जिनको मुख्य धारा के सरकारी क्षेत्र में सफलता पूर्वक शामिल किया जा सकता है।

५. कम खर्चीले समुदाय-आधारित प्रयासों का अध्ययन

कम खर्च वाले समुदाय आधारित अभिगम ढूंढकर निकाल जाने चाहिए और उनका अध्ययन करने के विशेष प्रयास किये जाने चाहिए, ताकि उनका फैलाव बढ़ाया जा सके और उनके जैसे अन्य प्रयोग किये जा सकें। सर्वाधिक नवीन और आशाप्रद सामुदायिक हस्तक्षेप वह है जो स्थानीय स्तर की वास्तविकता का प्रतिभाव प्रदान करता है। वह माता-पिता व समुदाय समस्त हितैषियों को शामिल करता है और उसका मजबूत अनौपचारिक नेटवर्क होता है। इनमें से बहुत-सा हस्तक्षेप प्रभावशाली और कम खर्चीला होता है और उससे वह खास निश्चित परिस्थिति में अपनी जगह पर ठीक बैठने वाला होता है। जो मॉडल बाहर से लादा जाता है, उसके बजाय इसकी अधिक लंबे समय तक टिकने की संभावना रहती है।

शेष पृष्ठ 24 पर

राष्ट्रीय महिला आयोग तथा महिलाओं के प्रजनन संबंधी अधिकार

केन्द्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने हाल ही में एक परिपत्र जारी करके 'राष्ट्रीय महिला आयोग' के कई अधिकारों को कम करने का प्रयत्न किया है। इस संदर्भ में आयोग की स्वायत्तता को लेकर कौनसे मुद्दे उपस्थित होते हैं, इसका विशद विवेचनपरक लेख **सुश्री वृंदा कारट** द्वारा लिखा गया है। 'सेंटर फोर हेल्थ एंड जेंडर इक्विटी' की **सुश्री रूपसा मलिक** द्वारा भारतीय संसद में हाल ही में दो कानूनों में जो संशोधन किये गए हैं, उनका महिलाओं के अधिकारों के साथ कितना और कैसा संबंध है, इस विषय में एक दूसरा लेख लिखा गया हैं। दोनों लेख यहां प्रस्तुत हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग की स्वायत्तता पर धावा
- सुश्री वृंदा कारट

स्वायत्त 'राष्ट्रीय महिला आयोग' की स्थापना के लिए महिला संगठनों ने दशकों तक संघर्ष किया, तब जाकर संसद के कानून द्वारा उसकी स्थापना हुई थी। मानव संसाधन मंत्रालय ने एक आदेशात्मक परिपत्र जारी करके उस संघर्ष को तहस-नहस कर डाला है और आयोग की कार्यवाही में अवरोध डाल दिया है। दिनांक २०.९.२००२ को जारी किये गए परिपत्र को कानून का बिल्कुल सहारा नहीं, क्योंकि वह मंत्रालय के कार्यक्षेत्र से बाहर की बात है। परिपत्र में दो परिवर्तन किये गए हैं। पहला परिवर्तन आयोग के सदस्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित है और यदि उचित कार्यवाही का अनुसरण किया जाए तो उसमें कोई बाधा की बात नहीं। दूसरा परिवर्तन आयोग के अधिकारों पर हमला करता है।

परिपत्र में यह कहा गया है कि बाहर के संगठनों, व्यक्तियों को दिया जाने वाला अनुदान, कार्यशालाओं, परिसंवादों आदि का खर्च विभाग के साथ तथा समन्वित वित्त विभाग के साथ चर्चा-विचारणा करके किया जाए। आयोग के द्वारा वर्तमान में जो योजनाएँ चल रही हैं और नई योजनाएं क्रियान्वित की जाएं, उनकी समीक्षा भी विभाग और समन्वित वित्त विभाग के साथ विचार-विमर्श करके की जाएंगी। यह बात संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय महिला आयोग कानून १९९० की व्यवस्था के विरुद्ध है। उसमें धारा-११(२) के अधीन आयोग की वित्तीय स्वायत्तता की स्पष्ट रूप से रक्षा की गई है। यह धारा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि आयोग इस धारा के अधीन स्वयं को जो उचित लगे, वे कार्य करने के लिए खर्च कर सकता है और ऐसी रकम उपधारा - (१) में जिसका उल्लेख किया गया है, वैसे अनुदानों में से काम में ली जाएगी। संगठनों को या व्यक्तियों को अनुदान देने के विषय में या आयोग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के विषय में सरकार के किसी विभाग के साथ विचार-विमर्श करने का इस धारा में कोई उल्लेख ही नहीं है।

उपर्युक्त परिपत्र के द्वारा विभाग के साथ विचार-विमर्श को अनिवार्य बनाया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि विभाग को तथा मंत्रालय को दखल करने का अधिकार मिला है, क्योंकि खर्च तय करने में उनकी सत्ता रहेगी ही। धारा में ऐसी व्यवस्था है कि महिलाओं संबंधी तमाम नीति-संबंधी मामलों में सरकार को आयोग के साथ विचार विमर्श करना होगा। परिपत्र धारा की इस व्यवस्था को लगभग उलट देता है। यह एक छिपी हुई साजिश है। सरकार ने संसद से पूछे बिना ही एक स्वायत्त संस्था को हड़प लिया है। सन् १९९२ में 'राष्ट्रीय महिला आयोग' की स्थापना हुई थी, तब से विभाग सरकार के द्वारा और विशेष रूप से महिला एवं बाल विभाग द्वारा आयोग की सत्ता को साफ कर देने और आयोग को विभाग के अधीन लाने के प्रयासों को रोकता रहा है।

परंतु सरकार ने इसके लिए हमेशा सीधे कदम उठाये हैं और विभाग के सामने उसने निशाना साधा है। इसके कुछ उदाहरण देखें : आयोग के अध्यक्ष और इसके सदस्यों का दर्जा अन्य आयोगों से अलग है। जब सरकार ने राष्ट्रीय महिला नीति बनाई थी, तब आयोग के साथ सर्व प्रथम विचार-विमर्श करना चाहिए था। पर उसकी जरूरत नहीं समझी। जब सरकार ने बजट में महिला संबंधी योजनाओं पर खर्च घटाया, तब आयोग को कोई अता-पता ही नहीं था।

कानूनी संशोधन के समय भी सरकार ने आयोग के साथ विचार-विमर्श जरूरी नहीं लगा। हाल ही में घरेलू हिंसा को स्वीकृति देने वाला इसका कानून था। उस दस्तावेज के बारे में पूरी चर्चा में उसकी भूमिका लगभग न के बराबर रही है। जैसे कि आयोग का कोई अस्तित्व ही न हो। ऐसा ही ठीक तब हुआ था जब पी.एन.डी.टी. कानून में सत्तावार संशोधन किया गया। महिला संगठन आयोग को उसकी स्वायत्तता के स्तर पर काम करने की बात बलपूर्वक कहते हैं और इसे कम से कम 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' जैसे अन्य आयोगों के समकक्ष बनाये जाने की बात कहते हैं। राजनीतिक पक्ष के नेता राष्ट्रीय महिला आयोग जैसे आयोग के जब सदस्य बनें तो वे अपनी राजनीतिक मान्याएं छोड़ दें, ऐसी अपेक्षा तो रखी नही जा सकती। परंतु उनको तो संस्था के द्वारा जो काम सौंपा जाता है, उसके संदर्भ में ही काम करना है। पूर्व की सरकारों के द्वारा नियुक्ति प्राप्त सदस्यों की आमतौर पर लघुत्तम आवश्यक राजनीतिक तटस्थता सहेजनी थी। नीति विषयक मामलों में तथा महिलाओं से संबंधित बातों में ऐसी तटस्थता सहेजी थी। इसके विपरीत, वर्तमान आयोग की भूमिका स्पष्ट रूप से सरकार के द्वारा ही तय होती है।

सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण गुजरात का है। यद्यपि यह कोई अकेला उदाहरण नहीं। वास्तव में 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' द्वारा दंगों में प्रभावित होने वाली महिलाओं के संबंध में सवाल उठाये गए। वैसे ये मुद्दे 'राष्ट्रीय महिला आयोग' को उठाने चाहिए थे। आघातजनक बात यह है कि आयोग ने जो फेरफार किये, उनके सामने विरोध दर्ज नहीं किया गया। दूसरी तरफ, अध्यक्ष ने तो उसके अमल की ही मांग की। अनेक मतभेद होते हुए भी महिला संगठनों ने आयोग के अधिकारों की रक्षा ही की है, वह भी इस समझ के साथ कि व्यक्तियों की तुलना में संस्थाएं लंबी जीती हैं। यह अभिगम आज भी उतना ही सच्चा और प्रासंगिक है। 'अखिल भारतीय लोकतांत्रिक मंडल' के द्वारा मंत्रालय को जो पत्र लिखा गया है, उसमें बताया गया है कि आयोग के सदस्य चाहे जो हों, लेकिन उनकी चुप्पी, सहमति, संगति आदि के उल्लेख के संदर्भ बिना ही हम यह कह रहे हैं।

देश भर के महिला संगठन इस परिपत्र को वापिस लिये जाने के लिए उचित रूप से मध्यस्थता करेंगे ही, इसमें कोई शंका नहीं। संसद को और विशेष रूप से संसद की महिला अधिकारिता समिति को इसके लिए द्रुत गति से काम करना पड़ेगा ताकि 'राष्ट्रीय महिला आयोग' की सत्ता चली न जाए, अन्यथा आयोग में से महिलाओं का ही निष्कासन हो जाएगा।

(द टाइम्स ऑफ इन्डिया, दिनांक १३.११.२००२ के अंक के लेख का अनुवाद)

महिलाओं के प्रजननपरक अधिकारों के बारे में दो कानूनों में सुधार

- सुश्री रूपसा मलिक

भारतीय संसद ने हाल ही में दो वर्तमान कानूनों में संशोधन पारित किए हैं। एक गर्भपात को लेकर है और दूसरा बच्चे के यौन चयन और गर्भ लिंग परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने को लेकर है। इन दोनों संशोधनों की बारीकी से जांच करें तो पता लगता है कि महिलाओं के अधिकारों के बारे में उनसे मिश्रित संकेत मिलते हैं।

५ दिसंबर - २००१ को १९७१ के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेन्सी एक्ट में संशोधन किया गया। यह कानून भारत में स्त्रियों को अनिच्छित गर्भ-निवारण का अधिकार देता है। इस कानून से स्त्रियों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ हुआ है, इसके बावजूद भारत में गैर कानूनी और असुरक्षित रूप से होने वाले गर्भपात की तादाद बहुत ज्यादा है। १९९८ के अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष भारत में अस्वास्थ्यकर स्थिति में अप्रशिक्षित लोगों के द्वारा ६७ लाख गर्भपात कराये जाते हैं। देश भर में प्रसूता स्त्रियों की मृत्यु की संख्या अधिक है, इसकी वजह असुरक्षित गर्भपात के कारण उत्पन्न तकलीफ है।

कानूनी रूप से होने वाले होने वाले गर्भपात को अधिक पहुंच वाला बनाकर असुरक्षित गर्भपात की संख्या घटाने का मुख्य उद्देश्य हाल के इस कानूनी संशोधन में रखा गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भपात की अधिक संख्या के लिए एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। इस संशोधन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था यह की गई है कि गर्भपात के लिए केंद्रों के पंजीकरण और स्वीकृति की जो सत्ता अभी तक राज्य स्तर पर केंद्रित थी, उसे जिला स्तर पर खिसका दिया गया है। भारत में असुरक्षित गर्भपात की संख्या घटाने हेतु यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश में ८ करोड़ स्त्रियों के लिए सिर्फ

६०० कानूनी मान्यता प्राप्त केन्द्र हैं। ऐसा कई राज्यों में है। ऐसे केन्द्रों को मान्यता देने की वर्तमान पद्धति बहुत उबाऊ और धीमी है। उदाहरण के लिए दिल्ली में ही २५० केंद्र मान्यता की प्रतीक्षा में हैं। साथ ही साथ विकेंद्रीकरण के प्रयासों पर उड़ती नजर डालनी जरूरी है ताकि गुणवत्ता युक्त देखभाल के साथ कोई समझौता न हो और प्रशिक्षण तथा टैक्नोलोजी के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें।

११ दिसंबर २००१ को संसद ने प्रि-नेटल डाइग्नोस्टिक टेक्नीक्स (रेग्युलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज। एमेंडमेंट मसौदा पारित किया। गत वर्ष के दौरान बालक के लिंग का चुनाव और लिंग परीक्षण का मुद्दा बहुत चर्चास्पद और चिंता प्रेरक रहा है। इसका आंशिक कारण यह है कि २००१ की जनगणना की सूचना स्त्री-पुरुष बालकों की बदलती हुई संख्या प्रकट करती है। गर्भस्थ भ्रूण परीक्षण और गर्भ लिंग चुनाव के आधार पर गर्भपात की तादाद भारत में बहुत रफ्तार से बढ़ी है। इसका कारण यह है कि पुत्र प्राप्ति हेतु दबाव और कम बच्चों वाले परिवार का दबाव दोनों स्त्रियों पर असर डालता है। वर्तमान कानून संशोधन हेतु मुख्य अनिवार्यता गर्भस्थ भ्रूण परीक्षण पर प्रतिबंध को और व्यापक बनाने की रही है। उसमें लिंग के चुनाव के लिए प्रि.कन्सेप्शन और प्रि-इप्लिमेंटेशन जेनेटिक डाइग्नोसिस के उपयोग का समावेश हो जाता है, जिससे बालक के लिंग का चयन होता है। अन्य नई व्यवस्थाओं में डॉक्टरों को अपनी अपनाई जाने वाली पद्धति के लिखित दस्तावेज रखने तथा यह बतलाने के लिए कि नियमों का पालन हुआ है, उन्हें राज्य, जिला और तहसील स्तर की दीवानी अदालत की सत्ता धारण करने वाले अधिकारी को सुपुर्द करने हैं और जहां भंग हुआ हो, वहां कार्यवाही करना - आदि बातों का समावेश है। ये संशोधन एक साथ पारित किये गए हैं, ये इस बात पर बल देते हैं कि भारत में गर्भपात विषय की चर्चा जटिल हो गई है। एक तरफ विधायिकों ने स्त्री के चयन को ध्यान में लिया है और असुरक्षित गर्भपात को घटाने पर चिंता व्यक्त की है, तो दूसरी तरफ स्त्रियां कब और क्यों गर्भपात कराती हैं, इस प्रश्न ने अधिक ध्यान खींचा है क्योंकि भारत में स्त्री गर्भ की गर्भपात कराने की दर ऊंची रही है। भारतीय समाज में लड़कियों और स्त्रियों के प्रति जो परंपरागत भेदभाव रखा गया है, उसी का यह परिणाम है।

आंकड़े अब यह बताते हैं कि भारत में अधिकांश स्त्रियां गर्भ के बढ़ जाने के बाद गर्भपात कराती हैं। इसका यह कारण है कि वे गर्भस्थ बालक के भ्रूण का परीक्षण कराती हैं और उसका परिणाम जानने के बाद ही गर्भपात कराती हैं। यह परिस्थिति दर्शाती है कि जो स्त्री-पुरुष असमानता विद्यमान है और जो कानूनी कार्यविधियां हैं उनकी जरूरत के बीच कहीं मेल नहीं बैठता।

भारत में प्रमाणित चिकित्सकों का अभाव होने की वजह से मंजूरी की कार्यवाही के लिए दो चिकित्सकों की अनिवार्यता होने की वजह से प्रसूति में गैरकानूनी गर्भपात की दर बहुत ऊंची रही है। कई स्त्रियों पर पुत्र पैदा करने का पारिवारिक तथा सामाजिक दबाव बहुत होता है और यदि दूसरा गर्भ भी बालिका का हो तो वे गर्भपात कराती हैं और सूचना के अभाव में अप्रशिक्षित दाइयों के पास ऐसे गर्भपात होते हैं। लिंग चयन के आधार पर होने वाले गर्भपात बावजूद इसके, बालक की जाति के आधार पर स्त्रियां जो गर्भपात कराती हैं वे कानून के माध्यम से दूर नहीं हो सकते।

ये दोनों कानूनी सुधार भारत में स्त्रियों के स्वास्थ्य एवं अधिकारों की परिस्थिति सुधारने की दिशा में विधायक कदम हैं। साथ ही साथ इन में से एक भी प्रश्न सिर्फ कानून के द्वारा हल नहीं हो सकेगा। भारत में असुरक्षित गर्भपात या गर्भ भ्रूण परीक्षण की संख्या घटाने में इन दोनों सुधारों की क्षमता सीमित है। स्त्रियों और लड़कियों के प्रति सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्मान बदलने के लिए गंभीर प्रतिबद्धता दिखानी पड़ती है और सरकार की अपनी नीतियों में जो विरोधाभास हैं, वे दूर करने पड़ते हैं। उदाहरणार्थ, राज्य स्तर पर जनगणना नीति में आबादी नियंत्रण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम ने आबादी-नियंत्रण पर बहुत कम ध्यान दिया है और इसीलिए दो बालकों के जन्म के बीच अधिक अंतराल रखने के बजाय वंध्यीकरण को महत्व दिया गया है। उससे चयनों का अभाव रहा है। उसके परिणाम स्वरूप जो स्त्रियां दो बालकों के बीच अंतराल रखना चाहती हैं पर गर्भावस्था को नहीं रोक सकती। वे स्त्रियां गर्भपात का आश्रय लेती हैं। हाल की नीतियों द्वारा इस बात को प्रोत्साहन दिया जाता है। अनेक राज्यों में भी दो बालकों की पद्धति पर बल दिया जा रहा है और साथ ही साथ महिलाओं के वंध्यीकरण पर बल दिया जा रहा है। कई राज्यों में तो इससे भी आगे बढ़ना हुआ है। जैसे, उत्तर प्रदेश में आबादी-नीति में

स्त्रियों के वंध्यीकरण के लिए गर्भपात सेवाओं का शर्तिया बना दिया गया है।

गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ लिंग के चयन पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों की प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के लिए दो बालकों की पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहनों और सजा देने की नीतियां नहीं रखी जा सकती। स्त्रियों के प्रति भेदभाव की प्रवृति दूर करने हेतु सर्वग्राही प्रयास नहीं होते, तो पुत्र-प्राप्ति की इच्छा दूर नहीं होती और स्त्री-बालक के गर्भपात का दबाव कम नहीं होता, यह स्पष्ट है कि दो बालक की पद्धति को लादने के लिए दबाव देने वाली नीतियां गर्भ-भ्रूण परीक्षण और चयन की तादाद बढ़ायेंगी।

गर्भ नीति चयन और सुरक्षित गर्भपात संबंधी प्रश्न परस्पर जुड़े हुए हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेन्सी एक्ट भारत में स्त्रियों को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार देता है पर उसके बारे में विवाद उत्पन्न हुआ है क्योंकि गर्भ जाति परीक्षण और गर्भ जाति चयन के आधार पर होने वाले गर्भपात के बारे में जबर्दस्त गरमागरम चर्चाएं हो रही हैं। कानून के संशोधन संबंधी मसौदे के बारे में संसद में हुई चर्चा के दौरान अनेक सदस्यों ने यह सुधार बालिका होने पर गर्भपात रोकने में कितना उपयोगी होगा, इस संबंध में शंका प्रकट की थी। एक सांसद ने तो ऐसा सवाल भी पूछ लिया था कि क्या गर्भपात गर्भहत्या तो नहीं? इस दोनों के बीच सचमुच क्या अंतर है? बालिका के गर्भपात को रोकने की जरूरत और सुरक्षित गर्भपात की व्यवस्था की प्राप्तता, इन दोनों के बीच का संबंध इसी से विवादास्पद बन गया है। कईयों ने भिन्न-भिन्न, लेकिन परस्पर जुड़े हुए मुद्दों के बारे में सर्वग्राह्य कानून का पक्ष लिया है। उसमें अपनी प्रजनोत्पति पर स्त्रियों को मूलभूत अधिकार और अंकुश रहे, यह जरूरी है और साथ ही साथ गर्भस्थ लिंग के चयन पर रखे जाते अधिक आधार को रोकने के गंभीर प्रयास भी होने चाहिए।

प्रत्येक समाज में चिकित्सा व्यवसाय में नियमन रखने के लिए कानून महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हालांकि उनमें संतुलन बनाने के लिए प्रभावी कार्यक्रम हाथ में लेने पड़ते हैं। इस संदर्भ में गर्भावस्था का पंजीकरण और देखरेख संबंधी वर्तमान व्यवस्था का प्रभावी उपयोग हो, यह जरूरी है। प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य और बाल-आरोग्य के कार्यक्रमों के भाग रूप में ही यह कार्यक्रम हाथ में लेना चाहिए ताकि असुरक्षित गर्भपात को रोक जा सके। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुदाय में सहायक दाइयों की संख्या बढ़ाने और उन्हें उचित प्रशिक्षण व संसाधन प्रदान करने हेतु सरकार को प्रतिबद्ध होना चाहिए। गर्भपात के लिए ओपरेशन के अतिरिक्त दूसरी पद्धतियों का भी स्त्रियां उपयोग करें ऐसी व्यवस्था उत्पन्न होनी चाहिए। उसमें मैन्युअल वेक्यूम एस्पिरेशन (एम.वी.ए.) तथा इमरजेंसी कोंट्रासेम्पशन (ई.सी.) का समावेश होता है।

इस समय गर्भपात के लिए ऑपरेशन (सर्जरी) की पद्धति सब से अधिक उपयोग में आती है। हालांकि सरकार १२ सप्ताह के नन्हें तमाम गर्भों हेतु एम.वी.ए. पद्धति की ही सिफारिश करती है, पर उसकी टैक्नोलोजी सर्वत्र आसानी से सुलभ नहीं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तो नहीं है। एम.वी.ए. पद्धति कम खर्चीली है और सुरक्षित भी है तो इसके लिए साधनों की खरीद हेतु सरकार को धन आवंटित करना चाहिए। इस पद्धति का उपयोग होने से आखिरकार असुरक्षित गर्भपात के परिणामस्वरूप जो नुकसान होता है, वह बंद हो जाएगा। भारत में गर्भपात निषेधों, कलंक तथा गुप्तता का शिकार है। ऐसे में असुरक्षित गर्भपात के बारे में जागृति फैलाने का अनेकानेक संगठनों ने फैसला किया है। हाल ही में सेंटर फॉर इन्कवायरी इन हैल्थ एंड एलाइड थीम्स तथा हेल्थवाच इंडिया ट्रस्ट द्वारा नेशनल एबोर्शन एसेसमेंट प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया है। उसमें गर्भपात विषयक सरकारी नीति की समीक्षा, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में गर्भपात संबंधी सेवाओं का मूल्यांकन, तथा गर्भपात संबंधी निर्णयों पर प्रभाव डालने वाले सामाजिक सांस्कृतिक घटकों और महिलाओं के दृष्टिकोण का अध्ययन आदि बातों का समावेश है। बाद में इस प्रोजेक्ट के निष्कर्षों का बहुत प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

स्पष्ट है कि सरकार ने गर्भपात संबंधी कानून में जो सुधार किये हैं तथा गर्भ लिंग परीक्षण पर जो प्रतिबंध लगाया है, वे अधिकांशतः तो रचनात्मक कदम ही हैं पर स्त्रियों के अधिकारों तथा स्वास्थ्य की दशा सुधारने में उनकी भूमिका सीमित है। सरकार इन समस्याओं के मूलभूत कारणों के हल के लिए कितनी प्रतिबद्धता दर्शाती है, इसी पर उसकी सफलता आधारित है और कानून का प्रभावी क्रियान्वयन तो जरूरी है ही।

बालकों का यौन शोषण : एक अदृश्य अभिशाप

यह आलेख बालकों के यौन-शोषण की समस्या की तरफ ध्यान आकृष्ट करने के अभियान के एक भाग के रूप में तथा शोध-दस्तावेज के रूप में 'कोट्टम - सोसायटी फोर अवेयरनेस एंड रिफोर्मेशन' की मंत्री **सुश्री सीमा भास्करन** के द्वारा तैयार किया गया है। केरल के पांच जिलों - त्रिचूर, मालापुरम्, त्रिवेन्द्रम, वायानंद और एर्णाकुलम् में से यह सूचना एकत्र की गई है। सन् १९९२ में त्रिचुर जिले के चेंगलूर में युवकों द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए 'कोट्टम' की स्थापना की गई थी। आरंभ में विभिन्न सरकारी कार्यालयों में होने वाले भ्रष्टाचार, शराब के खिलाफ महिलाओं का आन्दोलन, धान के खेतों में मिट्टी की खुदाई तथा महिलाओं पर होने वाली हिंसा इत्यादि समस्याएं उठाई गईं। पिछले पांच वर्षों से वे बालकों के यौन-शोषण के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

प्रस्तावना

बलात्कार के साथ ही साथ यौन-शोषण त्रासदी का सर्वाधिक घातक और अमानवीय स्वरूप है। जीवन के सर्वाधिक पवित्र एवं सुंदर तत्व तथा ऊर्जा के सर्जानात्मक स्त्रोत को हमारी स्त्रियों व बालकों को नितांत नगण्य बनाने, हतोत्साहित करने, अपमानित करने तथा उनके विनाश के साधन या शस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जात हैं। त्रासदी का यह स्वरूप समाज के सभी खतरों में फैला है। परिवार, विवाह, शाला, कॉलेज, कार्यस्थल, धार्मिक संस्थाओं, पुलिस, सेना, राज्य सभी जगहों में। और ये सभी संस्थाएं स्त्री को फिर से बार-बार प्रभावित करती हैं। भारत में यौन शोषण का उपयोग उच्च जाति के पुरुषों के द्वारा विशेष रूप से दलित स्त्री को उसके स्थान पर वापिस धकेल देने के दबाव के साधन के रूप में किया जाता है। साम्प्रदायिक दंगों में किसी एक समुदाय के विरुद्ध बदला लेने की पद्धति के रूप में इसका उपयोग होता है। विकासपरक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के समय सबसे गरीब आदिवासियों से उनके मकान जबरदस्ती खाली कराने के लिए पुलिस भी इसका उपयोग करती है। बालकों का यौन शोषण भी व्यापक है और उसे गुप्तता तथा शरम के बादलों के तले दूर धकेल दिया जाता हैं। जहां अपराधी सजा पाये बिना छूट जाता है और बालक कलंक तथा आघात के साथ जीता है वहां बालकों का यौन शोषण गुनाह बन जाता है, क्षमा न करने योग्य गुनाह बन जाता है क्योंकि वह सत्ता की क्रीड़ा बन जाता है। सत्ता की क्रीड़ा का अर्थ यह है कि दो जातियों - स्त्री एवं पुरुष के बीच की सत्ता का असंतुलन है तथा शक्तिशाली, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक स्थिति द्वारा पुरुष वह सत्ता हासिल करते है और यौन संबंधी व्याख्या वे ही तय करते हैं। बालकों पर होने वाला यौन आक्रमण शारीरिक, संवेदनात्मक, मानसिक, नैतिक तथा सामाजिक स्तर का होता है। योनि का कौमार्य और पवित्रता का विचार हमारे समाज में जिस तरह मूल्यवान है और जिस तरह उसका मूल्य समझा जाता है, उसमें जब बालिका पर यौन आक्रमण होता है तो उसी पर दोष का ठीकरा फोड़ा जाता है।

कुछेक अध्ययन

मैंने नजदीकी से जिनके साथ काम किया है, ऐसे कुछ बालकों के उदाहरण देती हूं:

छह वर्ष की एक बालिका से ३० वर्षीय एक पुरुष ने मुख-मैथुन कराया। उसके माता-पिता को विवाह के कई वर्षों बाद इस एकमात्र संतान का गर्भ रहा था और उनको जबर्दस्त आघात लगा था। लड़की बगीचे में खेल रही थी और वहां से अपराधी उसे खींचकर ले गया था। वह चौथी या पांचवी बार यह अपराध कर रहा था, पर सामाजिक कलंक लग जाने के भय से बालिका के मां-बाप चुप रहते थे। कांडगलूर की अदालत में अभी मामला चल रहा है। सरकारी वकील की अनुपस्थिति की वजह से उसमें चार बार पेशी पड़ गई। बालिका को जबर्दस्त आघात लगा है, वह अंतर्मुखी बन गई है और उसका वजन लगातार घटता जा रहा है।

एक बालिका के साथ उसके मौसा के द्वारा कई वर्षों तक बराबर छेड़छाड़ की जाती रही। मौसा-मौसी निःसंतान थे, अतः वह वहां रहती थी और उसकी मां अपनी बहन के निःसंतान होने से बहुत

चिंतित रहती थी। बालिका ने कुछ भी प्रगट नहीं किया क्योंकि उसके माता-पिता के बीच अनबन रहती थी, जिससे वह परेशान रहती थी। बचपन से ही वह असुरक्षा महसूस करती थी। स्वयं को वह अपराधी मानती थी, हताशा अनुभव करती थी और बराबर आत्महत्या करने की बात सोचती रहती थी। जब वह बड़ी हुई तो मनोचिकित्सक को दिखाने की जरूरत पड़ी। अपने दबे हुए गुस्से को और दुःख को वह सहन नहीं कर सकती थी अतः गहरे आघात में गिर पड़ी थी। अपने वैवाहिक जीवन में भी वह स्वयं को बराबर अपराधी समझती रही और यही समझती रही, कि वह किसी के लिए भी योग्य नहीं है। उसके बाद के प्रभावों ने भी स्वयं को लेकर अपनी छाप को विकृत तथा खराब कर डाला।

छह बरस की एक लड़की का उसके २८ वर्षीय पड़ौसी के द्वारा शोषण होता रहा। जब वह खेल रही थी तब उसे खींच कर ले जाया गया और उस पर हमला हुआ। उस पुरुष ने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयत्न किया पर बालिका की अल्पायु की वजह से वह नहीं हो सका। वह एक विद्यालय के चपरासी की एक मात्र संतान थी। कई परेशानियों के बाद उसके वह संतान जन्मी थी और दूसरी संतान को जन्म देने की स्थिति नहीं थी। उसके अत्यंत प्रेम और लाड़-दुलार से अपनी संतान को पाला था। वे अब स्वयं को भयंकर अपराधी समझते हैं, पर इसमें उनका कोई दोष नहीं, अपराधी तो वह पड़ौसी है, वही लड़की को उस समय जबरन खींचकर ले गया था, जब वह खेल रही थी। उसकी मां तो उस समय घर के काम में लगी थी। बालिकाओं के यौन शोषण के ऐसे अधिकांश मामलों में बालिका शोषणकर्ताओं को जानती है और उसके प्रति आदर भाव रखती है।

यह समस्या ऐसी नहीं कि जिसे व्यक्तिगत मूल या विकृति के रूप में मानकर चलें। इसका कोई एक कारण नहीं होता। परंतु यह एक जटिल समस्या है और संभवतः हमारे समाज में नैतिक मूल्यों का अधःपतन इसके लिए उत्तरदायी है। पांच व्यक्तियों के द्वारा १५.३.१९९८ से २५.३.१९९८ तक १२ वर्षीय एक बालक का यौन-शोषण किया गया। यह केस २-४-१९९८ को दर्ज हुआ पर अदालत में २८.२.१९९९ को आरोप दाखिल हुआ। इस दुर्घटना के बाद लड़के को मूर्छा आती है और लंबे समय तक वह बेहोश हो जाता है। पढ़ने में उसकी हालत बिगड़ गई है और वह १०वीं की परीक्षा में फेल हुआ है। लड़के की जबर्दस्त अस्वस्थता के बावजूद बचाव पक्ष के वकील ने भरी अदालत में बहुत लंबे समय तक जिरह की। 'कोट्टम्' द्वारा दर्ज शिकायत के क्रम में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने फौरन बंद कमरे में अदालती कार्यवाही चलाने का आदेश दिया। उसके बावजूद २०.१२.२००० को लड़का जिरह को सहन नहीं कर सका और अदालत के कमरे में ही गिर पड़ा। घटना के दो वर्षों के बाद भी बालक जिरह के सामने टिका रह सके, ऐसी अपेक्षा कैसे की जा सकती है। बचाव पक्ष के पांच वकील बालक से प्रश्न-प्रतिप्रश्न कर रहे थे। उनमें सभ्यता जैसा कुछ न था। लगभग अभद्र प्रश्न पूछ रहे थे। बालक पर उसका अत्यंत भयानक मानसिक प्रभाव पड़ा था। अदालती कार्यवाही की यह पद्धति आघातजनक है। बालक का यौन-शोषण हुआ या नहीं, इसे साबित करने के लिऐ उसकी धज्जियां बिखेरी जाती हैं।

डेढ़ वर्ष की बालिका के योनि क्षेत्र पर वीर्य के दागों के साथ जब एक युवा मां कांपती हुई डाक्टर के पास आई तो डॉक्टर भी सोच में पड़ गया, उससे देखा भी नहीं गया। जो व्यक्ति वहां दिहाड़ी पर आता था, उसी ने बालिका के गुप्तांग पर वीर्य फेंका था। यह घटना बालिका पर कोई दाग लगायेगी या नहीं और उसके विकास पर कोई असर डालेगी या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। बालकों के यौन शोषण की घटनायें चिंताजनक रूप से बढ़ रही हैं, पर हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं और इस बारे में कुछ करने के लिए कभी प्रयास नहीं हुआ। उसके परिणाम अलग-अलग आते हैं और शायद ही कोई मामला सीधे-सीधे दर्ज हुआ हो। सत्ता का खेल ऐसा है कि जो बालकों के यौन-शोषण को स्वीकार्य घटना बनाता है, अपराध को माफ कर दिया जाता है, आरोपी छूट जाता है तथा बालक कलंक व आघात के साथ जीता है। यह सत्ता ही उन्हें स्त्रियों को तथा बालकों को वस्तु स्वरूप समझने और उनका शोषण करने तथा अपनी इच्छानुसार नचाने को प्रेरित करती हैं।

समस्या का विश्लेषण

लड़कों के यौन शोषण के मामलों में माता-पिता फौरन अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। परंतु जब लड़कियां उसकी शिकार बनती हैं तो उसे छिपाया जाता है। एक नाई ने तीन वर्ष की बालिका पर यौन आक्रमण किया था। वह केस वापिस उठा लिया

गया क्योंकि माता को अपनी दो बड़ी बेटियों के भावी के बारे में चिंता थी। उसको उनके विवाह को लेकर चिंता थी। पवित्रता और कौमार्य को जो महत्व दिया जाता है, उसकी वजह से ऐसे बलात्कार बालक किशोरावस्था पर पहुंचे उससे पहले ही उसे आघात पहुंचाते हैं। वह स्वयं कुछ समझ नहीं सकत। यौन-शोषण को यहा एक अपराध के रूप में नहीं देखा जाता, वरन् एक नैतिक प्रदूषण समझा जाता है, जहां अपराधी कुछ नहीं खोता, पर बालक सारी शुद्धता खो देता है, ऐसा माना जाता है।

भारत में परिवार यौन मामलों में गुप्तता बरतते हैं। जानने की इच्छा या जिज्ञासा को दबा दिया जाता है और बालकों को यह बताया जाता है कि यह पाप है। नग्न शरीर को बचपन से ही गंदी चीज के रूप में चित्रित किया जाता है। इस वैचारिक सरोकार की वजह से जब बालक यौन शोषण का शिकार बनता है तो वह टूट जाता है और दिग्विमूढ़ हो जाता है। जो कुछ हो रहा है, उसका बालक को पता नहीं होता। वे ऐसा समझते हैं कि इस पाप के लिए वे उत्तरदायी हैं। वे स्वयं को दोषी समझते हैं और भयभीत होते हैं। हमारे शिक्षण और शिक्षा व्यवस्था भी यौन-संबंध में बालक को कुछ नहीं बताते। यौन-शिक्षा दी नहीं जाती और शिक्षकों को लगता है कि वे इस बला से बच गए। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था तोते जैसे बालक उत्पन्न करती है जो शाला के लिये अधिक अंक और प्रतिष्ठा लेकर आते हैं।

इस समस्या के बारे में जब पूछा जाता है तो वे बालकों को अपराधी मानते हैं, उनको दुष्कृत्य करने वाला और यौन-शोषण आमंत्रित करने वाला मानते हैं। इन सारी बातों के बावजूद सच्चाई यह है कि बालक कभी भी अपने ऐसे शोषण के लिए सहमति प्रकट नहीं करता और न ही ऐसे शोषण की सहमति प्रकट करने की क्षमता रखता। १० से १६ वर्ष की आयु के जिन बालकों का शोषण होता है, ऐसे अनेक मामलों में उनको धमका कर जबरन दूर ले जाया जाता है अथवा उनको विवाह का लालच दिया जाता है। बालक जिस सामाजिक परिवेश से, जिस टूटे हुए परिवार से आता है तथा उनकी संवेदनात्मक स्थिति पर शायद ही ध्यान दिया जाता है। इस समस्या को अपराध की दृष्टि से देखें तो, वे सहज ही वह समझ लेते हैं कि गुनाह अपराध के अंतर्गत दर्ज करना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा फैसला है कि बालक की सहमति व असहमति महत्त्वपूर्ण है ही नहीं।

कई पुलिस अधिकारी इस अपराध को सुन्नत के व्यवहार से जोड़ते हैं। वे मानते हैं कि सुन्नत कराने वाले पुरुष बालकों का यौन शोषण करते हैं क्योंकि उनको सामान्य विजातीय संबंधों से संतोष नहीं मिलता। यह कदाचित सत्य को विकृत करने का और छिपाने का कटु एवं पूर्वाग्रहयुक्त प्रयास हो सकता है। ऐसे मामलों का इतिहास यह बताता है कि सभी जाति, वर्ग, धर्म इत्यादि में से ऐसै शोषक होते हैं। निरे समीप के संबंधी के द्वारा यौन शोषण होने की घटनाओं की संख्या बढ़ रही है, पर वे शायद ही दर्ज होती हैं। ऐसी घटनाओं में शारीरिक अंगों की कमियों के रूप में बालक डाक्टरों के पास पहुंचते हैं। जब सच्चाई सामने आती है तो परिवार अदृश्य हो जाता है और बालक वापिस डाक्टर के पास नहीं जाता। यौन शोषण होने के बाद भय, स्वदोष, निराशा, चिंता, अंतर्मुखता, जीवन में शुष्कता आदि का अनुभव होता है। अकुलाहट की वजह से वह प्रकट होना कठिन हो जाता है और जिन लोगों को रक्षक के रूप में काम करना चाहिए वहीं लोग जब शोषक बन जाते हैं तो बालक आसानी से उसे स्वीकार नहीं करते। इस शोषण को व्यक्त करने के लिए बालक किस भाषा का प्रयोग करे, यह भी नहीं जानता। शोषणकर्ता उनके प्रियजनों को मार डालने की धमकियां भी देते हैं जिससे बालक सावधान हो जाते हैं। पुलिस सें केस दर्ज करना और कानूनी व्यवस्था दोनों उकता-थका देने वाली प्रक्रिया हैं। कार्यवाही बहुत जटिल होती है, जांच की भयंकर विचित्र पद्धति होती है, केस चलने में बहुत विलंब होता है, अदालत के कक्ष से परिचित न होने वाले माता-पिता डर जाते हैं। कोई भी इस घातक दंश द्वारा अपने बालक को फिर से प्रभावित बनाना नहीं चाहता।

अधिकांश जो केस दर्ज होते हैं वे निम्न-मध्य वर्ग के होते हैं। यौन-शोषण में अधिकांश मामलों में बालकों से बहुत बड़े और जाने माने व्यक्ति प्रमुख होते हैं। कई बालकों को लालच देकर या धमकाकर दूर ले जाया जाता है और तब उन पर बलात्कार किया जाता है। परिवारों से और विशेष रूप से टूटे हुए परिवारों से जो बालक दूर होते हैं, जिनकी कोई सुरक्षा नहीं होती और जो संवेदनात्मक भूख से पीड़ित होते हैं और उपेक्षा के शिकार हैं, उनके यौन शोषण

की और बलात्कार की संभावना बढ़ जाती है। छेड़छाड़ की बहुत घटनाएं होती हैं। यौन-शोषण में चुंबन से लेकर योनि, स्तन आदि जैसे गुप्तांगों के स्पर्श का समावेश होता हैं। इसके अलावा मुख मैथुन, गुदा मैथुन या सामूहिक बलात्कार आदि का भी समावेश होता हैं। बलात्कार या यौन-शोषण के मामले मीडिया में बहुत कम दिखाये जाते हैं। यौन शोषण के ज्यादातर मामलों में जान-पहचान के व्यक्ति के विश्वास या बड़े आदमी की ताकत का उपयोग होता हैं। कुछ मंदबुद्धि बालकों के यौन-शोषण के किस्से भी बनते हैं। बहुत करीबी रिश्तेदारों के साथ घटित घटनायें पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं होती।

सारांश

बालकों का यौन-शोषण उनके शरीर और मस्तिष्क पर स्थायी दाग छोड़ जाता है। वह उनके विकास को अवरुद्ध करता है और उनके व्यक्तित्व को खंडित कर देता है। समाज में यह ऐसा स्वीकृत और क्षमा कर दिया जाने वाला अपराध बनता है कि समाज बहुधा दोषी व्यक्ति की प्रशंसा करता है और उसे सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करता है। उसकी कुटुम्ब, समाज व कानूनी व्यवस्था प्रभावित होने वाले बालक की स्थिति को और ज्यादा नुकसान पहुँचाती है, विशेष रूप से जब उसके द्वारा वह फिर से प्रभावित होता है और आघात पाता है। नैतिकता के दोहरे स्तर बालक को उसमें सहमति देने वाला दर्शाते है। कौमार्य एवं पवित्रता जैसे मूल्य ऐसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं कि उसका जीवन व्यर्थ है और जीने योग्य नहीं। अपराध को प्रकट करने वाली प्रक्रिया आघातदायी बन जाती है। जांच का तंत्र और अपनी वर्तमान कानूनी प्रक्रिया ऐसी हैं कि यथासमय काम नहीं करती। ऐसे मामलों को शायद ही उसमें प्राथमिकता दी जाए। बालकों के प्रति किये जाने वाले इस भयानक प्रकार के अपराध की ओर आपका ध्यान खींचकर मैं आपसे अपने बालकों को बचाने हेतु तत्काल व्यूह-रचना गढ़ने की विनंती करती हूं। वर्तमान में टी.वी. चैनलों, पोर्नोग्राफी और इंटरनेट द्वारा यौन संबंध में लगभग विकृत जानकारी ठूंसी जा रही है। यौन-शोषण करने वाले लोग गरीब देशों के बालकों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं - ऐसा मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। इसमें पर्यटन उद्योग केन्द्र में है और वह अर्थतंत्र की दृष्टि से आय बढ़ाने वाला उद्योग बन गया है। ऐसी विचित्र स्थिति में शिक्षकों के रूप में हमारा यह दायित्व है कि बालकों को पूरी जानकारी दें ताकि वे गलत मार्ग पर न जाएं और जब भी उन पर यौन आक्रमण हो, तो वे अपनी रक्षा करना सीखे। बालकों के यौन शोषण के संबंध में भारतीय दंड संहिता में बहुत कम धारायें है। स्त्रियों संबंधी नियमों को बालकों पर लागू किया जाता हैं। इस कानून की बड़ी कमी यह है कि जब संभोग हुआ हो, तभी इसे गंभीर यौन अपराध माना जाता है। जब मुख मैथुन, गुदा मैथुन या अन्य चीज योनि में घुसाई जाती है, तब उसे कम गंभीर अपराध माना जाता है। धारा-३७७ अप्राकृतिक अपराध से संबंधित है। इसमें ७ से १० वर्ष के कैद की सजा की व्यवस्था है, पर वह केस मजिस्ट्रेट की अदालत में ही चल सकता है कि जिन्हें तीन वर्ष तक के कैद की सजा देने का ही अधिकार है। अगर बार-बार यौन शोषण किया जाता है तो उसका बालक पर अलग प्रभाव पड़ता है। लेकिन उससे संबंधित कोई कानून नहीं है।

हम धारा - ३५४ को कैसे लागू कर सकते हैं? यह धारा स्त्री के कौमार्य भंग से संबंधित है। इसे बालकों पर कैसे लागू करें? इसकी व्याख्या क्या है? धारा - ५०९ के अधीन अभद्र हावभाव का गंभीर अपराध कम गंभीर माना जाता है। ऐसे मामलों में बालकों के मन पर बलात्कार के जितना ही गंभीर असर होता है। सन् १९८३ में सर्वोच्च अदालत द्वारा दिये गए फैसले में न्यायाधीशों ने ऐसा अभिप्राय व्यक्त किया था कि बालक का बयान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसके लिए सहयोगी प्रमाण अनिवार्य नहीं। फिर भी पुलिस तीन वर्ष तक फोरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करती है। दूसरा एक मुद्दा यह है कि केस को सर्वोच्च अदालत तक पहुंचने में १० से १५ वर्ष लग जाते हैं। यह बताना भी अनिवार्य है कि पुलिस जब रिपोर्ट लेती है तब बाल विशेषज्ञों या सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की उपस्थिति अनिवार्य है। अभद्र प्रश्न पूछने से टालने के लिए वीडियो पूछताछ शुरू की जानी चाहिए। अपराधी से सीधी बात-चीत हो और केस के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। दूसरा एक मुद्दा यह है कि गैर जरूरी विलंब को टालने के लिए बालकों हेतु विशेष सुनवाई हाथ में ली जाए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम तो यह है कि यौन के संबंध में हमें संवाद करना चाहिए और अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि हम किसलिए बालक का यौन-शोषण करते हैं।

सम्पर्क : सुश्री सीमा भास्करन्, कोट्यम, पी.ओ. चेंगालूर, त्रिचूर, केरल - ६८० ३१२.

गतिविधियां

दोस्त, बिल्कुल यहीं नगर बसा हुआ था

श्री एच.के. ललित कला मंडल और फेड इन थियेटर्स के द्वारा यह नाटक तैयार किया गया है। इस नाटक में दो पुरातत्वविद २००० वर्षों के बाद अहमदाबाद शहर की मृत्यु का कारण ढूंढने निकलते हैं। ई.स.४००२ में दबा हुआ शहर देखने पर उनको लगता है कि शहर का विनाश प्राकृतिक कारणों से नहीं हुआ। वे अतीत को उघाड़ने के लिए आधुनिक साधनों का उपयोग करते हैं और उनको एक उल्लेखनीय प्रवक्ता मिल जाता है: नेहरु ब्रिज। यह पुल शहर में से निकलने वाली नदी को दो किनारों को जोड़ने वाला है। परंतु यह शहर जिन दो अलग-अलग दुनिया में विभाजित है, उसे जोड़ा नहीं जा सकता। एक तरफ गरीबी, तनाव और आशा का शहर है तो दूसरी तरफ समृद्धि, स्वच्छता व संतोष का शहर है।

यह पुल शहर की करुण कहानी में जान डालता है। वह शहर के दनादन चलते कपड़ा उद्योग के बंद होने के साथ शुरू होता है। मिलों के सायरन तथा करघों के खटाखट करते तानों-बानों के साथ हजारों लोगों का जीवन बुना हुआ था। वह एक ऐसे खेल का शिकार बन जाता है कि जिसकी स्वयं उसे भी समझ में नहीं आती। वे बच जाते हैं, पर अब उनका संघर्ष सिर्फ भूख-प्यास मिटाने का नहीं, और उनकी आशाएँ निराशा में बदल जाती हैं। निराशाएँ स्थापित व्यवस्था को झंझोड़ देती हैं और क्रांति एवं पुनर्रचना की तरफ धकेल देती हैं। पर यहाँ प्रस्थापित लोग एक पुराने शस्त्र को उपयोग में लाकर क्रांति के शस्त्र को भोंथरा कर देते हैं। भूख की आग अब एक नई आग से ठंडी पड़ती है और वह है धिक्कार की आग। और वह शहर के नाश में परिणत होती है। अनंत और समसायिक पुल है, जो जीवंत जगत के आनंद एवं उत्साह का साक्षी है, धड़कते सार्वजनिक जीवन और बाजारों का प्रेक्षक है। वे कौमी हिंसा के दृश्य भी देखते हैं और बाद में होने वाला विनाश भी देखते हैं। दोनों पुरातत्वविद नगर के ध्वस्त हो जाने के कारण का ज्ञान प्राप्त करके वापिस लौटते हैं, जो हमारी अपनी सभ्यता को बचाने की दिशा प्रदान करते हैं। लेखक व दिग्दर्शक: सौम्य जोशी, सम्पर्क ९८२५३-२७०७८.

शांति महोत्सव - २००२

अहमदाबाद की हिंसा का सांस्कृतिक प्रत्युत्तर देने के उद्देश्य से दिनांक ३ से ६ दिसंबर २००२ के दौरान यह महोत्सव आयोजित किया गया था। इसमें सभी के लिए न्याय और हमेशा के लिए शांति का संदेश फैलाया गया। इसका उद्देश्य अपनी संस्कृति के तत्व की फिर से खोज करने तथा सबको एकता के सूत्र में पिरोने का था।

उत्सव का अंतिम लक्ष्य यही था कि अहमदाबाद के तमाम घरों, दिलों, समुदायों और वर्गों में शांति उत्पन्न हो। शांति उत्सव के दौरान निम्नानुसार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था:

१. शुभा मुद्गल, अमरेन्द्र धानेश्वर और गुंडेचा बंधुओं का शास्त्रीय संगीत रखा गया था।
२. दिल्ली की नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की संस्कार रंग टोली द्वारा 'पर हमें खेलना है' नाटक मंचित किया गया था।
३. शिंडलर्स लिस्ट, १९४७ अर्थ, बोम्बे तथा फिजां जैसी फिल्में दिखाई गई थी।
४. शहर के विभिन्न भागों में विविध समूहों द्वारा नुक्कड़ नाटक किये थे। इन समूहों में अहमदाबाद के थियेटर मीडिया सेंटर, फेड इन थियेटर, लोकनाद और मेहर समूह, बड़ौदा की विकास ज्योति और परिवर्तन समूह तथा केरल का शोक ट्रुप, जबलपुर की विमर्श रंगशाला तथा बेंगलोर की पेडेस्ट्रियन पिक्चर्स सम्मिलित थे।
५. फन रिपब्लिक में १ दिसंबर को बालकों की चित्र स्पर्धा रखी गई थी, जिसमें ३०० बालकों ने भाग लिया था। बालकों ने शांति, मेरा नगर, मेरा राष्ट्र जैसे विषयों पर चित्र बनाये थे।
६. वैश्वीकरण तथा फासीवादी खतरे के तले राष्ट्र-राज्य का बदलता स्वरूप, लोकनीति का भविष्य, पहचान की राजनीति और वैश्वीकरण, कौमवादी फासीवादी और वैश्वीकरण जैसे विषयों पर विचार-सभाएं आयोजित की गई थीं।

इस महोत्सव को अहमदाबाद कम्युनिटी फांउडेशन, अमन समुदाय,

श्री रतन कात्यानी को दिशा स्नेही पारितोषिक प्रदान

बेंगलोर की संस्था इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले व्यक्ति को दिशा स्नेही पारितोषिक से सम्मानित किया जाता है। इस पारितोषिक में एक प्रशस्ति पत्र और १०,००० रु. की नकद राशि सम्मिलित है। सन् २००१ का छठा दिशा स्नेही पारितोषिक मुक्तिधारा संस्थान के प्रणेता श्री रतन कात्यायनी को प्रदान किया गया है। मुक्तिधारा संस्थान ने अरावली के पूर्वोत्तर अंचल में अर्थात् राजस्थान के जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में विचरण करने वाली और विमुक्त जातियों के मानवाधिकारों तथा संवैधानिक अधिकारों के विषय में तंत्र, समाज एवं वंचित समुदाय में लोक-जागृति जगाने हेतु विगत १० वर्षों के दौरान उल्लेखनीय काम किया है। अरावली अंचल में ६ विचरती जातियों के लगभग ४२,००० लोग अपने कबीलों में लगभग घुमंतू और भटकन भरा जीवन बिताते हैं। वहां उनका ६५ स्थानों में सामूहिक पुनर्वास कराया गया है। इन छः जातियों के कबीलों को राष्ट्र के विकास की के मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास सामूहिक संगठन बना कर किया जा रहा है।

आज लगभग ४४७ विचरने वाली जातियां घुमंतू जीवन जी रही हैं क्योंकि उनके पास नागरिकता नहीं है। सभ्य समाज के साथ उनका कोई संबंध नहीं है और सरकार की विकास कार्यसूची में भी उनका समावेश नहीं हुआ। देश में उनकी कुल आबादी चार करोड़ है। मुक्ति धारा संस्थान इन विचरने वाली विमुक्त जातियों को उनके अधिकार दिलाने का काम करती है।

बेंगलोर इनीशियेटिव फोर पीस, बिहेवियेरल साइंस सेंटर, सिटिजन्स इनीशियेटिव, दर्शन, इन्साफ, ओक्सफाम, प्रशांत और सहमत जैसी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त हुआ था।

छत्तीसगढ़ में बीज़ सत्याग्रह

१० दिसंबर के दिन मानवाधिकार दिवस को रायपुर में एक बीज़ सत्याग्रह आयोजित किया गया। उसमें सींजेंटा नामक बहुराष्ट्रीय कंपनी की धान की एक किस्म के २२,९७२ पौधों की बिक्री का विरोध किया गया था। इस विषय में निर्णय तो रायपुर की इंदिरा गांधी कृषि युनिवर्सिटी ने लिया था। समग्र छत्तीसगढ़ राज्य में उस दिन आवेदन पत्र सौंपे गए। महासमंद, पिथोरा, बासना, सराईपल्ली, कासदोल तथा रायपुर में यह सत्याग्रह हुआ, जिसमें लगभग ४००० किसानों और वरिष्ठजनों ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ मुक्ति मुर्चा, छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और छतीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने आंदोलन द्वारा अनुरोध किया था।

दूसरे दिन अर्थात ११ दिसंबर को जेल भरो आंदोलन किया गया। विभिन्न गांवों में यह आंदोलन हुआ। आंदोलन शांतिपूर्ण था अतः उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसमें १२६१ लोगों ने भाग लिया था। १२ दिसंबर को भी इसी भांति आंदोलन हुआ जिसमें ९९४ लोगों ने भाग लिया था। शिवनाथ नदी रेडियस वाटर लिमिटेड नामक कंपनी को बेचने का भी विरोध हुआ। सम्पर्कः राजेन्द्रकुमार साईल, एच-१२, अनुपम नगर, रायपुर ४९२ ००७, छत्तीसगढ़, ई मेल chh_seedsatyagrah@rediffmail.com

भावी कार्यक्रम

नागरिकता एवं शासन के विषय में सम्मेलन

दिल्ली की सोसाइटी फोर पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (प्रिया) के द्वारा दिनांक १२ से १४ फरवरी २००३ के दौरान दिल्ली के इंडियन

शेष पृष्ठ 24 पर

संदर्भ सामग्री

दंगे : प्रभावित होने वालों की सामुदायिक स्तर के सहायकों द्वारा मनो-सामाजिक संभाल

आकस्मिक घटनाएं समग्र समुदाय के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई हैं। धीमे-धीमे मनो-सामाजिक देखभाल की जरूरत को स्वीकार करने में आ रहा है। हाल ही में गुजरात के दंगों के कदम-ब-कदम क्रोध, पीड़ा, दंगा, मानसिक आघात चुनौती स्वरूप बन गए हैं। ऐसे में अब जन भावनाओं को किस तरह सामान्य बनाया जाए, इस पर विचार करना पड़ेगा। सिर्फ आवास और रोजी-रोटी के साधनों का ही पुनर्निर्माण नहीं, वरन् मानवीय मूल्यों और कौमी संवाद की पुनर्रचना कैसे की जाय, यह एक चुनौती है। इस सूचना परक पुस्तिका में भावनाओं की प्रतिक्रियाओं के सामान्यीकरण के मुद्दे को समेटा गया है। इसमें संबंधित क्षेत्र के अनुभव बड़े स्तर पर ब्यौरेवार सचित्र प्रस्तुत किये गए हैं। यह ३०० शांति यात्रियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर आधारित है। यह व्यवसायियों, स्वैच्छिक संस्थाओं तथा प्रभावितों को साझा पुरुषार्थ है।

इस पुस्तिका में गुजरात की घटनाओं, लोगों पर प्रभाव, मनो-सामाजिक सहायता, मनो-सामाजिक जरूरतों की समझ, सामुदायिक स्तर की सहायता की भूमिका, मनो सामाजिक कार्यवाही, विशिष्ट समूह, रेफरल सेवाओं, स्व-संभाल एवं दंगे व समाज जैसे प्रकरणों का समावेश है। चित्रों के द्वारा समझाया गया है कि दंगाग्रस्त लोगों का मानसिक व सामाजिक पुनर्वास कैसे करें। इसे भी पुस्तिका में दर्शाया गया है कि सामुदायिक स्तर के सहायकों को कैसी भूमिका निभानी चाहिए। बलात्कार की शिकार स्त्रियां, हिंसा के शिकार बने लोग, वृद्ध, विकलांग, महिलाएं, बालक इत्यादि फिर से मानसिक व शारीरिक दृष्टि से भी स्वस्थ बनें और मानसिक संतुलन प्राप्त करें, यह जरूरी है। इस पुस्तिका में इसके लिए की जाने वाली कार्यवाही विस्तार के साथ दर्शाई गई है।

मनोचिकित्सकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कंसल्टेंट्स द्वारा यह पुस्तिका लिखी गई है और उसका अनुवाद कराया गया है। निमहान्स, एक्शन एड इंडिया और ओक्सफाम इंडिया द्वारा इसका प्रकाशन हुआ है। प्रथम आवृत्ति : जुलाई २००२।

प्रति प्राप्त करने हेतु सम्पर्क करें: www.actionaid.org, www.oxfamindia.org, www.indiadisaster.org, www.careindia.org

मकान बनाइये स्वीकृति लेकर

भूकंप के बाद उत्पन्न मकान निर्माण की स्वीकृति से संबंधित लोगों की परेशानी दूर करने का प्रयास इस पुस्तिका में किया गया है। लोगों को परेशान कर देने वाली समस्याओं का नियमानुसार उचित व सही उत्तर तलाश किये गए हैं। वे एक कहानी के रूप में हैं। आदमभाई, वालाभाई, अशोकभाई, प्रेमजीभाई, जीवाभाई, जेतुबहन आदि इस कहानी के पात्र हैं। भचाऊ नगर के बस स्टेशन पर आदमभाई का ब्लोक का करखाना इस कहानी का स्थल है। कहानी के अंत में वालाभाई, आदमभाई, प्रेमजीभाई, जीवाभाई और जेतुबहन अपना घर बनवाने के लिए किस तरह मंजूरी प्राप्त करते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है।

भूकंप के बाद ग्रामीण अंचलों में तथा नगरों में गृह निर्माण कार्य की स्वीकृति सरकार से किस तरह प्राप्त की जाएं, इसका मार्गदर्शन इस पुस्तक में अत्यंत सरल गुजराती भाषा में कहानी के रूप में दिया गया है इससे यह पुस्तिका सभी के लिए ग्राह्य बन गई है।

सिर्फ निर्माण कार्य की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ही नहीं, वरन् घर के निर्माण कार्य का आयोजन किस तरह करना तथा घर की डिजाइन किस तरह की बनवानी, इसका विवरण भी इस कहानी में सहज रूप से मिल जाता है। लेखक : दिनेश प्रजापति, शैलेष राठौड़, विवेक रावल और भानुप्रसाद मिस्त्री। पृष्ठ १६.

प्राप्ति स्थान : उन्नति, पुनर्निर्माण सहयोग केंद्र, हेलिपेड के पास,

भचाऊ कंडला हाई-वे, भचाऊ, कच्छ-३७० १४०.

कवरेज ऑफ गुजरात राइट्स : मीडिया डिबेट्स इट्स रोल

प्रेस इंस्टीटयूट ऑफ इंडिया द्वारा हरियाणा में मानेसर के पास १३-१४ अप्रैल २००२ के मध्य गुजरात के साम्प्रदायिक दंगों के दौरान मीडिया के द्वारा अदा की गई भूमिका बारे में पत्रकारों के बीच विचारों के आदान-प्रदान हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस पुस्तिका में उसका विवरण है। इस कार्यशाला में बी.जी. वर्गीज, सेवंती निनान, कूमी कपूर, उपेंद्र वाजपेयी, अशोक चटर्जी, भास्कर राव, सीमा मुस्तफा आदि जैसे पत्रकारों के मंतव्य हैं। इनके अलावा स्वपन दासगुप्ता, ए.जी.नूरानी, मार्क टुली, सईद नकवी जैसे पत्रकारों ने चर्चा के दौरान उठाये गए मुद्दों का विवरण भी इसमें समाविष्ट है।

समुदायों का नाम लिया जाए या नहीं, संचार की समस्या, टी.वी. चैनल : कितना दिखाना चाहिए, कितना कहा जाना चाहिए? द्रुत गति से बदलती टैक्नोलोजी का इलैक्ट्रोनिक माध्यमों पर प्रभाव, नई परिस्थिति में क्या आचार संहिता बदलनी चाहिए? गुजराती अखबार कवरेज के मामले में कितने उकसाने वाले थे? सामाजिक संदर्भ में गुजरात के दंगे, विवरण और उकसाने के बीच की पतली विभाजन रेखा, बदली हुई परिस्थिति में शिक्षण या मार्गदर्शन? इत्यादि विषयों पर इस कार्यशाला में जो चर्चा हुई उसका ब्यौरा इस विवरण से प्राप्त होता है। पृष्ठ ५४, मूल्य : ७० रु.

प्राप्ति स्थान : प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सप्रू हाउस अनेक्सी, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली - ११० ००१.

शोषण और आंतक की आग में आदिवासी

आदिवासियों की वास्तविक समस्याएं क्या हैं, इसकी गहरी समझ देने का प्रयास यह पुस्तक करती है। जो मदद आदिवासी वापिस प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें जमीन के स्वामित्व का हक, पानी का हक, जंगल क़ा हक, काम प्राप्त करने का हक, संस्कृति और अस्तित्व टिकाये रखने का हक, प्रगति करने का हक आदि शामिल हैं। इन हकों के संदर्भ में आज गुजरात में आदिवासियों की कैसी परिस्थिति है, इसकी इस पुस्तिका में चर्चा की गई है। पुस्तिका में सात प्रकरण हैं और उनके शीर्षक इस प्रकार है : शांतिप्रिय आदिवासियों में कौमी दंगे कैसे हुए? आदिवासी अबोध नहीं : आदिवासी आंदोलन, आदिवासियों की असली पहचान, असल आदिवासी पहचान को मिटा देने का षड़यंत्र, आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व, इसके बाद क्या?

इन प्रकरणों में आदिवासियों के सामाजिक आंदोलनों, गुजरात के नर संहार में आदिवासियों का उपयोग, ईसाई और गैर-ईसाई आदिवासियों में कौमवाद उत्पन्न करने के लिए संघ परिवार की व्यूह रचना, डांग दरबार का नाटक, आदिवासियों का हिन्दूकरण और हिन्दुत्वकरण आदि सवालों की चर्चा की गई है। पृष्ठः १७०, मूल्यः २५ रु., लेखक : लेन्सी लोबो और जंयती मेकवान।

प्रकाशक : सेंटर फोर कल्चर एंड डेवलेपमैंट, अेक्स.टी.कैम्पस, बड़ौदा ३९१ ००१

ए.बी.सी. ऑफ द डब्ल्यू.टी.ओ.

'ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया : मिथ्स एंड रियलिटीज' शीर्षक के अंतर्गत सितंबर - २००१ में जिस मोनोग्राफ की श्रृंखला शुरू की गई थी, उसके अंतर्गत यह लघु पुस्तिका तैयार की गई है। इसमें १० प्रकरण हैं, जो इस प्रकार हैं : सामान्य आयात कर और व्यापार समझौता (गेट) क्या है?, उरुग्वे राउंड क्या है और वह गेट के पूर्ववर्ती राउंड से किस तरह अलग है?, 'विश्व व्यापार संगठन' के बीच क्या अंतर है? 'विश्व व्यापार संगठन' किस तरह काम करता है? 'विश्व व्यापार संगठन' के समझौते के अनुसार गरीब देशों को क्या विशेष राहतें मिली हैं?, 'विश्व व्यापार संगठन' में भारत को सदस्य क्यों होना चाहिए? भारत के लिए 'विश्व व्यापार संगठन' खतरा है या अवसर? 'विश्व व्यापार संगठन' के बारे में व्यक्ति को जानकारी क्यों रखनी चाहिए?

उपर्युक्त सभी मुद्दों के बारे में इस लघु पुस्तिका में सरल अंग्रेजी भाषा में जानकारी दी गई है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) १९९५ से अस्तित्व में आने वाली संस्था है और वह व्यापार संबंधी समझौतों का संचालन करती है। विश्व के गरीब देशों के गरीबों पर और उनके अर्थतंत्रों पर उसके प्रभाव को लेकर जबर्दस्त विवाद चल रहा है, तब

यह पुस्तक किसी भी विकास लक्ष्यी कार्यकर्ता को पढ़नी जरूरी है। इससे गरीबों की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय घटकों के संदर्भ में समझना बहुत उपयोगी होगा। इसी प्रकार के अन्य आठ मोनोग्राफ अलग-अलग विषयों पर तैयार किये जा रहे हैं। पृष्ठ : २५, स्वैच्छिक योगदान ३० रु.

प्रकाशक : कट्स सेंटर फोर इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनोमिक्स एंड एन्वायरन्मैंट, डी-२१७, भास्कर मार्ग, बनी पार्क, जयपुर ३०२ ०१६, ई-मेल cuts@cuts.org

हाशिये के हाथ

तैयार वस्त्रों, अगरबत्ती और पापड़ उद्योग के घरेलू कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के बारे में चर्चा करने वाली यह हिन्दी पुस्तिका सामाजिक सुरक्षा की स्थिति और विविध कानूनी व्यवस्थाओं की जानकारी देती हैं। इसमें छः प्रकरण हैं : पद्धति और प्रक्रिया, घरेलू उद्योगों का राष्ट्रीय महत्व, कर्मचारियों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति, उत्पादन की प्रक्रिया, उत्पादक और कार्मिकों के बीच के संबंध, सामाजिक सुरक्षा के प्रश्न, संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा कोष। इस पुस्तक की भूमिका सुश्री इला. र. भट्ट ने लिखी है और प्रस्तावना 'सेवा भारत' की अध्यक्षा सुश्री रेनाना झाबवाला ने लिखी है। पुस्तिका के अंतिम भाग में चिकन और जरी उद्योग, अगरबत्ती उद्योग और पापड़ उद्योग के संबंध में आंकड़ाबद्ध जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त अंत में संदर्भ ग्रंथों की सूची भी दी गई है। यह पुस्तक एक अध्ययन है। इसका उद्देश्य इस प्रकार हैः

(१) तैयार वस्त्रों, अगरबत्ती तथा पापड़ उद्योग के घरेलू कार्यकर्ताओं की वास्तविक संख्या खोजना।
(२) इन कार्यकर्ताओं की काम की दशा जानना।
(३) उनकी सामाजिक सुरक्षा की जरूरतें समझना।
(४) सामाजिक सुरक्षा संबंधी जरूरतों तथा कल्याण कोष की तत्काल स्थापना हेतु अनिवार्य कदम उठाना।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और मध्यप्रदेश में यह अध्ययन करवाया गया था। घरेलू कार्यकर्ताओं का क्षेत्र बढ़ रहा है पर सरकार की उन पर नजर नहीं है। यही नहीं, सरकार उनको मजदूर मानती ही नहीं। इसी से वे जनगणना में नहीं आते और सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों में भी वे दिखाई नहीं देते। घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की दशा को समझने के लिए यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी है। लेखक : नीलम गुप्ता। प्रथम आवृति : २००१, मूल्य ५० रु.

प्रकाशक : सेवा भारत, सेवा रिसेप्शन सेंटर, तिलक बाग के सामने, भद्र, अहमदाबाद ३८० ००१.

नोखा चीले नवसर्जन

यह गुजरात के दलितों की दुर्दशा के समक्ष गुजरात में कार्यरत 'नवसर्जन' की संघर्ष - कथा है। दिसंबर २००१ में 'नवसर्जन' को १२ वर्ष पूरे हुए। यह संस्था के उद्भव, विकास, कर्तव्य और मर्यादाओं को संस्थागत एवं सामाजिक दृष्टि से किया गया तटस्थ दस्तावेज है। एकाध दशक पहले तक संस्था अपने मुट्ठीभर कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह ५० रु. का वेतन नियमित रूप से नहीं चुका पाती थी। यही संस्था आज अपनी प्रतिबद्धता को छोड़े बिना या गांवों के साथ रिश्ता तोड़े बिना प्रति वर्ष लाखों रुपये दलितों - गरीबों के काम हेतु खर्च करती है। ऐसा कैसे हुआ, इसका रहस्य संचालक व कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया दर्शाने वाले अलग-अलग प्रसंगों से हमें पता लग सकेगा। उन प्रसंगों का इस पुस्तक में आलेखन हुआ है। दलितों की दुर्दशा को १००-२०० वर्ष पहले की बात मान बैठे संवदेनशील पाठकों के लिए यह पुस्तक आंखें खोल देने वाली और यथार्थ की पहचान कराने वाली बनी हुई है। पुस्तक में सात प्रकरण हैं : प्रस्तावना संघर्ष की पगडंडी पर अविरत प्रयाण, दलितों की दास्तान : पूर्ण भूतकाल नहीं, वरन् चालू वर्तमान काल, स्वावलंबी बनाने के प्रयत्न, संबंध संघर्ष का, आर्थिक विवरण, कानूनी सेवा की कार्यवाही का आंकड़ाबद्ध ब्यौरा। दलितों की दास्तान प्रकरण में अस्पृश्यता और छुआछूत, हक की जमीन के लिए इधर-उधर भागा दौड़ी, सफाई कर्मचारियों की सदियों पुरानी कठिनाई, राजनीतिक अधिकारों की रामायण, हिंसक अत्याचार, हिजरत और बहिष्कार, पानी : हक को डुबोने का सुलभ हथियार और खेत मजदूरी आदि शीर्षकों के अंतर्गत नवसर्जन द्वारा किये गए कामों का विवरण विविध किस्से प्रस्तुत करके दिया गया है। उसके पश्चात बचत बैंक और प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा दलितों को स्वावलंबी बनाने के प्रयत्नों का ब्यौरेवार वर्णन किया गया है। श्री

मार्टिन मेकवान ने किस तरह नवसर्जन की शुरूआत की तथा उसमें कौन-कौनसे काम किस तरह किये, उसकी गाथा और कथा इस पुस्तक में प्रस्तुत की गई है। दलितों की क्रांति के संदर्भ में श्री मार्टिन मेकवान ने तीन सत्य व्यक्त किये हैं:

(१) नेतागिरी स्थानीय हो तभी वह असरदायी होती है। बाहर के नेता ऐन वक्त पर उपस्थित नहीं रहते जिससे कोई मतलब सिद्ध नहीं होता।

(२) दलितों की समस्या व्यक्तिगत नहीं, वरन व्यवस्था से संबंधित है। इसके विरुद्ध लड़ने के लिए गुजरात व्यापी संगठन बनाना पड़ेगा।

(३) संघर्ष में संविधानिक अभिगम अपनाकर कानून का व्यूहात्मक उपयोग करना पड़ेगा।

पुस्तक में इसकी झांकी देखने को मिलेगी कि इन तीनों मुद्दों के अनुसार किस तरह 'नवसर्जन' द्वारा काम किया गया है। पुस्तक के अंत में 'नवसर्जन' के कार्यों के विषय में अनुसूचित जाति के ग्रामवासियों के अनुभव तथा साथ ही साथ विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों के अभिप्राय भी दिये गए हैं। अंत में अलग-अलग प्रोजेक्ट की सूची के साथ संस्था का वार्षिक विवरण दिया गया है। १९८८ से २००१ तक के काम की संचित पूंजी, सम्पत्ति, भारतीय एवं विदेशी दान, अन्य आय, खर्च आदि का विवरण उसमें दिया गया है। इसके अलावा इस संस्था के कानून विभाग की कार्यवाही अलग-अलग क्षेत्रों में कैसी रही उसका आंकड़ा बद्ध विवरण जिला एवं तहसीलवार दिया गया है। इससे ज्ञात होता है कि संस्था ने अस्पृश्यता, जमीन, पानी, मजदूरी, राजनीतिक मामलों, सम्पत्ति, सार्वजनिक सेवाओं, पारिवारिक समस्याओं तथा अन्य मामलों में कितनी कार्यवाही की है। पृ:२३९, लेखक: उर्वीश कोठारी, पूर्वी गज्जर, प्रथम आवृत्ति जून २००२.

प्रकाशक : नवसर्जन ट्रस्ट, २, रुचित एपार्टमेंट, सूरज पार्टी प्लोट के सामने, धरणीधर देरासर के पीछे, वासणा, अहमदाबाद ३८० ००७. फोन: ६६१७४१२, ६६०७३५२, ई-मेल: navsarjan@icenet.net

पृष्ठ 10 का शेष

६. समन्वित बाल विकास सेवाओं को सुदृढ़ बनाना तथा बाल संभाल कार्यकर्ता की भूमिका को स्वीकार करना

तीन वर्ष से कम आयु के बालकों को लाभ मिले, इस दृष्टि से ये योजनाएँ नये सिर से गढ़ी जानी चाहिए। क्रियान्वयन और प्रसार में अभी जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए।

बाल संभाल कार्यकर्ताओं का वेतन, काम की स्थिति, प्रशिक्षण और एक्रेडिटेशन के बारे में नीति विषयक स्तर पर विचार करने की जरूरत है। बाल संभाल कार्यकर्ता निम्न पद के होते हैं। उन्हें कम पगार मिलती है और उन्हें कोई मान-सम्मान नहीं देता। फिर भी उनसे अपेक्षा रखी जाती है कि वे प्रेमी, उत्साही व होशियार हों। अनुभव बताते है कि वे आय और रोजगार के स्रोत हैं।

सम्पर्क : सेवा भारत, पहली मंजिल, ७१५ साउथ पटेलनगर, नई दिल्ली-११० ००८.

पृष्ठ 20 का शेष

सोशियल इंस्टीट्यूट में नागरिकता और शासन : पहचान, समावेश एवं आवाज की समस्याएँ, विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में निम्न विषयों पर चर्चा होगी : (१) संस्थागत संबंध और सबसे अंत में रह जाने वाले लोगों की सहभागिता (२) स्थानीय शासन की संस्थाओं में स्त्रियों और उनका महत्व (३) उद्योग क्षेत्र का उत्तरदायित्व : औद्योगिक विकास में नागरिकों की भागीदारी (४) शासन की संस्थाओं में सुधार (५) सार्वजनिक नीति पर प्रभाव डालने हेतु नागरिकों का कार्य (६) स्थानीय शासन की संस्थाओं में दलितों का नेतृत्व। इस सम्मेलन में 'प्रिया' अपने अध्ययनों का निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी और सहभागी अपने अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। पंजीकरण शुल्क : विद्यार्थियों हेतु ५०० रु., अन्य लोगों के लिए १००० रु.

सम्पर्क करें : डॉ. रंजिता मोहंती, प्रिया, ४२, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली ११० ०६२. फोन: ०११-६०६०९३१-३२-३३, ६०२१९०८, ईमेल: csd@pria.org

विगत तीन माह के दौरान हमने निम्न प्रवृत्तियां हाथ में ली थी:

कच्छ पुनर्वास की प्रक्रिया

भचाऊ में दिनांक ४.१०.२००२ को गृह निर्माण कार्य की स्वीकृति संबंधी प्रश्नों के बारे में एक सार्वाजनिक चर्चा आयोजित की गई। भूकंप के बाद नये उप-नियम और निर्माण-कार्य नियंत्रण संबंधी नियम सरकार द्वारा बनाये गए हैं। परंतु नए कानूनों की अनुपालना के संदर्भ में लोगों को बहुत कठिनाइयां पेश आती हैं। स्वामित्व अधिकार का अभाव, गैर कानूनी अथवा कब्जे की जमीन पर निर्माण कार्य, किरायेदार को घर किराये दिया गया हो अथवा जमीन भाड़े पर दी हुई हो, आदि मामलों में उनको ये कठिनाइयां पेश आती हैं। इस बैठक का उद्देश्य भचाऊ विस्तार विकास मंडल, गुजरात राज्य विपत्ति संचालन सत्ता मंडल तथा नगर के लोगों को उनकी समस्याएँ स्पष्ट करने के लिए एक मंच पर लाना था। इस बैठक में ४०० व्यक्ति उपस्थित थे। गृह निर्माण कार्य विषयक नए नियम समझाने वाली एक पुस्तिका भी तैयार की गई और उसे बैठक में वितरित किया गया। बैठक के अंतिम भाग में यदि लाभार्थी की ओर से 'उन्नति' केस करती है तो हर घर से ली जाने वाली ६०० रु. की जमीन की फीस माफ करने पर विचार हेतु सत्ता मंडल वाले सहमत हुए थे। यदि स्टैंडर्ड प्लान या मकान की डिज़ाइन पंजीकृत इंजीनियर द्वारा मंजूर हो तो उसे भी स्वीकृत करने हेतु वे सहमत थे। भचाऊ विस्तार विकास सत्ता मंडल के कार्यालय में शिकायत निवारण विभाग स्थापित हो और उसके लिए स्थान देने के बारे में भी सहमति थी। लोग उसमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और सत्ता मंडल उसका निराकरण करेगा।

सामाजिक देखरेख के भाग स्वरूप इन तीन माह के दौरान अपंग लोगों हेतु वांछित शौचालय बनवाने पर ध्यान केन्द्रित किया। समुदाय ने प्रति शौचालय २००० रु. का आंशिक योगदान दिया और संस्था ने ४५०० रु. का योगदान दिया। इस प्रकार २० स्त्रियों और ३० पुरुषों हेतु पानी की टंकी समेत कुल ५० शौचालय बनवाये गए।

भचाऊ तहसील में जिन ग्रामीण कलाकारों को सहयोग दिया जा रहा है, उनको २६ से ३० अक्टूबर २००२ के दौरान चंडीगढ़ में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सी.आई.आई.) द्वारा आयोजित प्रदर्शिनी में ले जाया गया। महिला कसीदा कारीगरों, बुनकरों तथा ब्लॉक प्रिंटिंग करने वालों के द्वारा जो वस्तुएँ बनवाई थीं, उन्हें 'दोरी' ब्रांड के अंतर्गत सीधे ही बेच दिया गया। बिक्री की व्यूहरचना के भाग के रूप में कारीगरों की वस्तुओं की सूची तैयार की गई और भाव की सूची के साथ वे वस्तुएँ रखी भी गई। इस सूची में वस्तुओं का विवरण है, उनकी गुणवत्ता की जानकारी है तथा इसे ध्यान में रखा गया है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खरीददारों के साथ उनके सीधे संबंध बन जाएं।

विपत्ति के मुकाबले की तैयारी हेतु सामुदायिक आकस्मिकता योजना बनाने के लिए पंचायतों को सहयोग

कच्छ भूकंप और तूफान संभावित क्षेत्र है अतः भचाऊ तहसील के दो गांवों लुणवा और मोरगर की पंचायतों के ग्रामवासियों की सहभागिता के साथ एक आकस्मिकता योजना तैयार करने में मदद दी गई। समुदाय को विपत्ति से मुकाबले के लिए समुदाय के साथ संवाद शुरू किया गया। अतीत के अनुभवों के आधार पर जोखिम की बातें और सबसे कमजोर लोग कौन हैं, यह खोज निकाला गया। जोखिमों की सूची बनाई गई और संसाधनों का नक्शा तैयार किया गया। विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों का एक कार्यदल तैयार किया गया और उन्हें विविध काम तथा जिम्मेदारियाँ सौंपी गई। इस तरह ब्यौरेवार योजना बनाई गई है, जिसे अंतिम स्वीकृति के लिए ग्राम सभा के सामने रखा जाएगा।

राजस्थान में अकाल संबंधी समस्याओं को लेकर समर्थन (पैरवी)

राजस्थान में लगातार पांचवें वर्ष अकाल पड़ रहा है। धन की कमी के कारण राज्य सरकार ने अकाल राहत के लिए बहुत कम राशि आवंटित की है। इस संदर्भ में दिनांक २४ से २६ अक्टूबर २००२ के मध्य अकाल संबंधी सवालों के बारे में सामाजिक संगठन व समर्थन विषयक एक

कार्यशाला रखी गई। लोगों को परिस्थिति का सामना करने के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है, इस बारे में उसमें राजस्थान के छः जिलों- जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, नागोर, चूरू और जालोर में कार्यकारी योजनाएं तैयार की गईं। उसमें अन्न सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर देखरेख रखी जाएगी। कार्यशाला के दौरान ही उसके लिए जिला अकाल समन्वय समिति गठित की गई, जिसमें संबंधित जिलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया। उसमें अकाल अनाज योजना, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय योजना, मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाओं पर तो देखरेख रखी जाएगी ही, पर पंचायत स्तर पर यह ब्लॉक विकास अधिकारी को सौंपी जाएगी। उससे पंजीकरण पत्रक उससें बदलता रहेगा और जागृति बढ़ने से भ्रष्टाचार घटेगा तथा राहत कार्य के अधीन अधिक लोगों को शामिल किया जा सकेगा। इस संदर्भ में दिसंबर व जनवरी २००३ के दौरान बाड़मेर व जोधपुर जिलों के सातों ब्लोकों में दलितों के साथ काम करने वाले सहभागी संगठनों के साथ कार्याशालाएं आयोजित की जाएंगी। उनका उद्देश्य दलितों की पहचान संबंधी प्रश्नों के बारे में तथा अकाल संबंधी प्रश्नों पर चर्चा करना है।

मानवाधिकार दिवस पर रैली

१० दिसंबर २००२ को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर से दलित अधिकार अभियान द्वारा ओसियां और शेरगढ़ तहसील में दो रैलियां आयोजित की गई। ओशियां में रैली का प्रयोजन जमीन के कब्जों और दलितों पर होने वाले अत्याचारों के सवाल पर जागृति फैलाना था। इस रैली में ६० नेताओं ने भाग लिया था। शेरगढ़ में अकाल राहत कार्य में चल रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध विरोध हुआ। साथ ही दलितों को उसमें काम देने की मांग की गई। रैली में ५०० स्त्रियों सहित ७५० लोगों ने भाग लिया था।

अवैध कब्जे की ७५ बीघा जमीन छुड़ाई गई

जोधपुर जिले की मंडोर तहसील समिति ने दिनांक १८ से २६ नवंबर २००२ के दौरान दलित अधिकार अभियान के तत्वावधान में जिला कलैक्टर कार्यालय के सामने दलितों की कब्ज़ाई जमीन को छुड़वाने के लिए धरना दिया गया। फिर इस घटना की जांच हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई और ७५ बीघा जमीन छुड़ाई गई।

नागरिकता के प्रश्न पर सार्वजनिक सुनवाई

बाड़मेर जिले में चौहटन तहसील में नवंबर २००२ के दौरान एक आम सुनवाई का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य पाकिस्तान से निकाल बाहर किए गए लोगों की नागरिकता तथा पुनर्वास के सवाल को उठाना था।

दलित अधिकार अभियान में सहभागिता बढ़ाने हेतु महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाया गया

स्थानीय संगठनों ने दलित महिलाओं की समस्याएँ उठाने और सक्रिय भूमिका निभाने हेतु उनकी अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर महिलाओं के स्वयं-सहायता समूहों का गठन किया है। इन समूहों का पहला प्रशिक्षण जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील में आयोजित किया गया जिसमें ५० महिलाओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण में समूह की प्रक्रिया और समूह की कार्यवाही समझने का उद्देश्य रखा गया था। इस बैठक में एक कार्यकारी योजना तैयार की गई। उसमें यह तय किया गया कि आंगनबाड़ी काम न करती हों या स्वास्थ्य केंद्र बराबर काम न करते हों, तो ऐसे स्थानीय प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठकें की जाएंगी। उसमें २६ जनवरी को आयोज्य ग्रामसभा में सक्रिय भाग लेने के बारे में भी चर्चा करना तय किया गया।

पंचायत के सदस्यों का प्रशिक्षण

दिसंबर २००१ में गुजरात में ग्राम पंचायतों के चुनाव हो जाने के बाद पंचायतों के सदस्यों हेतु उनकी क्षमता वृद्धि हेतु अनेक अभिमुखता प्रशिक्षण आयोजित किए गए। इन तीन माह में अहमदाबाद, साबरकांठा और जामनगर जिलों में ९७ पंयायतों के सदस्यों की क्षमता और बढ़ाने

के उद्देश्य से दिनांक २ से ४ अक्टूबर २००२ के दौरान कच्छ में स्वैच्छिक संगठनों के ४० कार्यकर्ताओं हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

इसी भांति गुजरात समाज सेवा संस्थान के स्वयं सहायता समूहों की २२ महिला सदस्यों ने तथा अहमदाबाद जिले की धोलका तहसील की तीन जलस्त्राव समितियों के सदस्यों को पंचायतों की कार्यवाही के बारे में प्रशिक्षण दिया गया।

महिला पंचायत सदस्यों को विशेष सहयोग

गुजरात में चयनित महिला प्रतिनिधियों को विशेष सहयोग प्रदान करने हतु धोलका पंचायत संदर्भ केन्द्र में एक अभिमुखता बैठक आयोजित की गई। इसका उद्देश्य यह था कि महिला प्रतिनिधि अपने मुद्दे प्रस्तुत करें।

राजस्थान के चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील में मरुशक्ति के सहयोग से २२ ओर २९-३० दिसंबर २००२ के दौरान पंचायत की महिला सदस्यों हेतु दो अभिमुखीकरण प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया। इस दौरान अकाल में निर्वाचित प्रतिनिधि की भूमिका के बारे में चर्चा हुई। इसी प्रकार सृजाम्यहम् के संयुक्तावधान में १४-१५ नवंबर २००२ के दौरान जैसलमेर जिले की सम तहसील में निर्वाचित प्रतिनिधियों हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

ग्राम सभा को मजबूत बनाना

गुजरात में धोलका तहसील के छः गावों में ग्राम सभा को मजबूत बनाने के लिए सूक्ष्म स्तरीय आयोजन हाथ में लिया गया। संबंधित गांवों के प्रबुद्ध व्यक्तियों की बनी पंचायत विकास समिति ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच कड़ी रूप में है। इन तीन माह की अवधि में पंचायत की कार्यवाही के बारे में छः गांवों के पंचायत विकास समितियों के सदस्यों को अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिया गया और ४ गांवों में नई पंचायत विकास समितियों का गठन किया गया।

शहरी शासन की प्रक्रिया को मजबूत बनाना

अहमदाबाद जिले के साणंद नगर में भावी नगर दिशा गढ़ने हेतु प्रयास किया गया। उसमें नागरिकों को भूमिगत गटर व्यवस्था तथा मार्गों पर विशेष ध्यान देना तय किया गया। ढांचागत सुविधाओं के विकास हेतु निजी क्षेत्र और सरकार की भागीदारी तय करने की प्रक्रिया शुरू की गई। प्रत्येक वार्ड में समितियां गठित की गई तथा विचार विमर्श किये गए। इन समितियों की सेवाएं शुरू होते ही उन्हें तुरंत उनके आयोजन, देखरेख तथा संरक्षण का काम सौंपा जाएगा। साथ-ही-साथ नगरपालिका के अधिकारियों के साथ इस सवाल पर विचार-विमर्श शुरू किया है। समुदाय तथा नगरपालिका के अधिकारियों के सहयोग से एक परियोजना तैयार की गई। उसमें गटर, मार्गों, पेयजल सुविधा के बारे में ले-आउट और उसके खर्च का अंदाज तैयार किया गया। तदुपरांत दिनांक ३१.१२.२००२ को नागरिकों के समक्ष उनकी प्रतिक्रिया हेतु प्रस्तुत किया गया।

'उन्नति' राजस्थान में विगत दो वर्षों से शहरी शासन की समस्याओं के बारे में काम कर रही है। इसका लेखा-जोखा करने के लिए दिनांक १३.१२.२००२ को जयपुर में एक विमर्श सभा रखी गई।

७४ वें संविधान संशोधन के अनुसार नगरों में सेवाओं पर ध्यान रखने हेतु नागरिकों का एक दस्तावेज तैयार करना अनिवार्य है। अतः बिलाड़ा नगरपालिका में सभी हितैषियों की एक विमर्श-सभा आयोजित की गई। उसमें नागरिकों का दस्तावेज बनाने और उसकी क्रियान्वयन प्रक्रिया तय करने हेतु एक समिति गठित की गई।

विकलांगता की समस्या को मुख्य धारा में लाने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं की क्षमता वृद्धि

विकलांगों के लिए अवरोध-मुक्त वातावरण बनाने के लिए 'क्षमता' के तत्वावधान में विगत तीन माह के दौरान एक योजना शुरू की गई। सभ्य समाज को संवेदनशील बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने की उनकी व्यूहरचना के भाग रूप में दिनांक २१ से २३ नवंबर २००२ के दौरान स्वैच्छिक संस्थाओं के अध्यक्षों और नेताओं को अभिमुख करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उसके अनुवर्ती कार्य के रूप में १६ सहभागी संगठनों के सहयोग से उनके कार्यक्षेत्र के पांच जिलों में कार्यकारी शोध हाथ में ली जा रही हैं। इससे विकलांग लोगों के प्रति समाज के व्यवहार और रूझान संबंधी समझ अधिक पैनी होगी। वे विकलांग लोगों की जरूरतों, उनसे संबंधित अवरोधों और उन्हें दूर करने के उपायों के बारे में अधिक जानकारी भी उपलब्ध करायेंगे।

गुजरात में महिला नीति

राष्ट्रीय महिला नीति की तरह गुजरात राज्य स्तरीय महिला नीति का गठन किया जा रहा है। इसके लिए नये उप-विषय तय किये गए हैं तथा 'उन्नति' ऐसे एक उप-विषयः राजनीतिक सहभागिता और महिला अधिकारिता के बारे में काम कर रही है। इसका मसौदे के रूप में दस्तावेज तैयार हुआ है और आगामी तीन माह के दौरान उसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। हम क्षमता वृद्धि और प्राकृतिक संसाधन संचालन विषय पर भी सक्रिय योगदान दे रहे हैं।

चरखा की प्रवृत्तियां

इन तीन माह के दौरान कौमी मेल मिलाप, महिला सरपंच द्वारा किये गए प्रयासों, बालिकाओं का शिक्षण तथा बुनियादी अधिकारों हेतु आदिवासियों का संघर्ष आदि विषयों पर सात लेख प्रकाशित हुए हैं। उत्तर गुजरात के लिए मीडिया और स्वैच्छिक संस्थाओं के बीच सम्पर्क हेतु एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उस क्षेत्र की समस्याओं को प्रकाश में लाना तथा पारस्परिक सम्पर्क बढ़ाना मुख्य उद्देश्य था। गुजराती में 'आशा की किरण' और अंग्रेजी में 'रे ऑफ होप' शीर्षक से गुजरात में भूकंप के बाद हुए पुर्नवास के प्रयासों संबंधी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। विगत तीन माह के दौरान स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा प्रकाशित तीन समाचार पत्र (१) खाराश संवाद - ए.के.आर.एस.पी. (२) लोक संचालन - उत्थान, तथा (३) समाचार संकलन - जनपथ को सहयोग प्रदान किया गया। सूरत के कानूनी सहायता तथा मानवाधिकार केंद्र द्वारा आदिवासियों की समस्याओं का २००३ का जो कैलेंडर तैयार किया गया, उसमें भी सहयोग प्रदान किया गया।

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संस्थान

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-6746145, 6733296 फैक्सः 079-6743752 email: unnatiad1@sancharnet.in

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

जी-55, शास्त्री नगर, जोधपुर-342 003 राजस्थान

फोनः 0291-2642185, फैक्सः 0291-2643248 email: unnati@datainfosys.net

रूपांकनः रमेश पटेल, 'उन्नति' **गुजराती से अनुवादः** रामनरेश सोनी

मुद्रकः कलरमैन ऑफसेट, सेलर, आगमन, मयूर कॉलोनी के पास, मीठाखळी छः रास्ता, नवरंगपुरा, अहमदाबाद- 380 009, फोन नं. 6431405

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।